शब्द संवेदना

(मानवीय मूल्य संदर्भित लेख-संग्रह)

लेखक

डॉ. आशीष जैन आचार्य, शाहगढ़

शास्त्री, आचार्य (संस्कृत साहित्य, प्राकृत एवं जैनागम, पालि), बी.एड.,
नेट जेआरएफ, पीएचडी

प्रकाशक

सन्मति प्राच्य शोध संस्थान

(रजि.अधिनियम 1860 के अंतर्गत नो क्र.महा/571/88/नागपुर)

कस्तूरबा वाचनालय के पास, सदर नागपुर-440001

ISBN 81-85783-51-10

पुस्तक का नाम	-	शब्द संवेदना (मानवीय मूल्य संदर्भित लेख-संग्रह)
लेखक	-	डॉ. आशीष जैन आचार्य, शाहगढ़
वर्ष	-	2019
संस्करण	-	प्रथम
मूल्य	-	100
सर्मपण	-	परम पूज्यनीय माताजी एवं पिताजी के जीवन के लिये सादर समर्पित
प्रकाशक	-	सन्मति प्राच्य शोध संस्थान (रजि.अधिनियम 1860 के अंतर्गत नो क्र.महा/571/88/नागपुर) कस्तूरबा वाचनालय के पास, सदर नागपुर-440001
प्रकाशक	-	गणेश प्रिंटिंग प्रेस, देशबंधु काम्प्लेक्स, भोपाल

प्राक्कथन

शब्द प्रेरित करते हैं। शब्द–संसार में गोते लगाना वाला व्यक्ति अपने शब्द–कौशल के प्रयोग से आमूल–चूल परिवर्तन करने में सक्षम होता है। इन शब्दों के साथ खेलने वाले कई महारथी संसार में प्रसिद्ध है। मैं भी प्राय:कर शब्दों के साथ मैत्री कर कुछ शब्द–प्रेरणायें प्रस्तुत करने का मनोभाव बनाकर आपके समक्ष रख रहा हूँ। विषय का चयन करना, मैं मानता हूँ अपने आसपास के परिवेश से अधिक होता है। परिस्थितियों का निरंतर आकलन और उन परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को समाधित करने की तार्किक बुद्धि हमें लिखने के लिये करती है। जब मैंने **केन में लगा दूध** इस विषय पर लिखा। तब मैंने परिस्थितियों में देखा कि कैसे मातायें–बहिनें केन में लगे हुये दूध को पानी से खंगालती है और दूध में मिला देती है? जिज्ञासा मन में उठी और उसके सार्थक समाधान तार्किक नय द्वारा प्रस्तुत किये।

निरंतर समाचार–पत्रों में प्रेरक–प्रसंग और आपबीती पढ़ते रहने के बाद मन में प्रश्न उठा कि क्यों न हम स्वयं को प्रेरित करें? तब मैंने अपने विचारों को गति दी और **स्वयं को कैसे प्रेरित करें?** इस विषय पर अपने तार्किक कथनों को उकेरा।

दीपावली के समय मिट्टी के दीपकों का प्रयोग और उनके बनाने वालों के रोजगार में कैसे वृद्धि हो? इस बात के चिंतन ने मुझे प्रेरित किया कि मैं कुछ उन सब पर लिखूँ। तब मैंने **दीपक मतलब मिट्टी के** इस विषय को आधार बनाकर लिखा। मैं एक बार एक मोची के पास गया, चप्पल ठीक कराने। वह तेज धूप में बैठा लोगों की **जूते पॉलिश** कर रहा था, चप्पल सिल रहा था। तब मुझे लगा कि इसके लिये मैं क्या कर सकता हूँ? जिससे इसके जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति हो सके। तब एक लेख **जूते पॉलिश** लिखा। मैंने देखा कि हम अपने व्यवसाय में रहते हुये ऐसा नया क्या करें? जिससे हम भी सामाजिक सेवा और पारमार्थिक कार्य कर सके, एतदर्थ **आओ करें एक नई पहल** लिखने के लिये प्रेरित किया। बरसात के मौसम में होने वाली लापरवाही, जिससे मानव

जीवन और अन्य प्राणियों के जीवन को नुकसान पहुँचा है, उससे मन में बहुत पीढ़ा होती, जब इस पीढ़ा को मैं दबा नहीं पाया तो मैंने **बचाव ही जीवन है** यह लेख लिखकर लोगों को संदेश देने का प्रयास किया कि बचाव कितना आवश्यक है? पाश्चात्य संस्कृति का कितना भी प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़ा हो, परंतु जीवन-पर्यन्त तक चलने वाली वैवाहिक जीवन-शैली भारतीयता की पहचान है, बस इसी विषय को शब्दों में पिरोकर **विवाह एक उत्तरदायित्व** लिखने का मनोभाव प्रस्तुत किया। प्रत्येक लेख कहीं न कहीं किसी प्रेरणा से प्रभावित होकर लिखा गया। बिन प्रेरणा लेखन होता कहाँ है?

भारतीय संस्कृति के पुरोधा महापुरुषों के जीवन को भी अपने शब्दों में भरने का सूक्ष्म प्रयास किया। मुझे लगता है कि राष्ट्र के लिये जिन्होंने अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, उनका जीवन तो प्रेरणीय है ही, शायद मेरी लेखनी भारत राष्ट्र का नागरिक होने के गौरव का बढ़ाने में सहयोग करें।

मुझे उम्मीद है आपको मेरा यह लेखन कुछ नवीन प्रेरणायें देगा और आपके जीवन में कुछ आमूल-चूल परिवर्तन भी पैदा करेगा, जिससे हम राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र के लोगों के प्रति अपनी संवेदनायें बखूबी व्यक्त कर सकेंगे और उनके जीवन को नवीन आयाम दे सकेंगे।

-आपका

-डॉ. आशीष जैन आचार्य

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	पृष्ठसंख्या
1	शब्द	1
2	स्वयं को प्रेरित करें..	3
3	मित्र	5
4	दीपक मतलब मिट्टी के ही..	8
5	अपनी कमाई का हो एक मधुर उद्देश्य भी.....	10
6	विवाह एक उत्तरदायित्त्व...	13
7	बचाव ही जीवन है	17
8	जूते पालिस	19
9	रखें अच्छी यादें	21
10	आओ हम करें एक पहल	23
11	केन में लगा दूध	26
12	जीवन में बदलाव ही सफलता का रहस्य है...	28
13	महापुरुषों का जीवन पढ़कर मन उत्साह से भर जाता है	31
14	लोकतंत्र का मतलब सबके लिये एक समान - पं. दीनदयाल उपाध्याय	33
15	भारत के बदलते परिवेश में युवाओं की भूमिका	36

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	पृष्ठसंख्या
16	मतदाता की जागरूकता ही राष्ट्र का विकास है	41
17	राष्ट्र निर्माण की भूमिका में अग्रणीय कदम महिला सशक्तिकरण	44
18	राष्ट्र की अखंडता में संविधान सजग प्रहरी	47
19	भारत देश की पूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन के जनक लाला राजपतराय	51
20	संस्कृति और भाषा का सम्बन्ध	55
21	सशक्त भारत - शिक्षा और स्वास्थ्य	64
22	स्वतंत्रता संघर्ष के वीर योद्धा - सुभाषचन्द्र बोस	66
23	संभालो पुरानी चीजों को, तो संभल जायेगा कैरियर...(एंटीक शॉप)	70
24	जल का दुरूपयोग न करना ही जीवन का बचाव है	72

शब्द

काश! शब्दों के प्रयोग पर नियंत्रण होता तो महाभारत का युद्ध न होता, साम्प्रदायिक झगड़े न होते, पड़ोसी, पड़ोसी का दुश्मन न होता, मधुर प्रेम में ईर्ष्या का विष न घुलता, मंदिर में भी झगड़ा न होता, मन में मैल और हृदय में द्वेष न होता, शीतल जल की भाँति सबको शीतल करते और खुद शीतल रहते, घुले हुए विष के वमन को निकाल देते और प्रेम के सागर में गोते लगाते।

शब्द जीवन के आधार हैं। शब्दों के बिना अभिव्यक्ति संभव नहीं है। कुछ शब्द बोलकर और कुछ शब्द संकेत से हम परस्पर आदान-प्रदान करते हैं। शब्द वह जादू है, जो जीवन को आनंद के संगीत के धागे में मोतियों की भांति पिरोने में सहायक है, वहीं दूसरी ओर शब्द वह घातक प्रहार है, जो तलवार के वार को भी परास्त कर दे। मां को मां कहना और बाप की पत्नी कहना, शब्दों का ही जादू है। अर्थ क्या निकलेगा? लोग अपने-अपने से लगा लेंगे, लेकिन शब्द तो अपना काम कर जाते हैं।

हर शब्द वर्ग-भेद के बिना जीवन को गौरवशाली बनाने के लिये प्रेरित करता है। शंखनाद मंदिर में भी होता है और युद्ध भूमि में भी, अर्थ कहाँ क्या लेना? पृथक बात है; क्योंकि शब्दों की ध्वनि ने अपना काम किया है। काश! हम भी शब्दों के भेद में न पड़कर, उसके सही उपयोग पर काम करना शुरू कर दे, तो निश्चित ही ये शब्द हमारे आपसी प्रेम की मिशाल साबित होंगे। श्री राजमल वेगस्या जी, जयपुर राजस्थान के कवि ने कहा है-

ये शब्द बुरे नहीं होते, उपयोग पे फल निर्भर है,
ये शब्द लड़ावे-भिड़ावे, इनकी मिशाल घर-घर है।
रावण मत कहो किसी से, वरना झगड़ा कर लेगा,
जो राम कहोगे, तो बांहों में भर लेगा।।

शब्द हमारी पूँछ–परख को बढ़ाते हैं तो दूसरी ओर हमारे व्यक्तित्व को आलोकित करते हैं। ऐसा कहते सुना होगा– जब तक बोले नहीं, तब तक ही इज्जत है। सीधा सा अर्थ है जैसे – तोतलापन की परख के लिये वैवाहिक–संबंधों में गानें सुनने का प्रचलन खूब प्रचलित रहा। खैर। शब्दों का मेल हमारे अच्छे और बुरे जीवन से हैं। छोटी–छोटी बातों पर शब्दों को शब्दों से भिड़ते देखा है, या इंसानों को शब्दों के बुरे प्रयोग से लड़ते देखा है। सोचिये।

शब्द तो शब्द होते हैं,
दो मीठे बोल
जग जीत लेते हैं
और कड़वे बोल
जग लूट लेते हैं...
शब्द तो शब्द होते हैं।।

शब्दों का चयन और उनका प्रयोग इतना मीठा हो, जब भी हो तो मिश्री घुल जाए और बिगड़े काम बनते जाए। कठोर और कर्कश शब्द मिठाई में नमक मिलाने का काम करता है। इनसे तो बचे। काश! शब्दों के प्रयोग पर नियंत्रण होता तो महाभारत का युद्ध न होता, साम्प्रदायिक झगड़े न होते, पड़ोसी, पड़ोसी का दुश्मन न होता, मधुर प्रेम में ईर्ष्या का विष न घुलता, मंदिर में भी झगड़ा न होता, मन में मैल और हृदय में द्वेष न होता, शीतल जल की भाँति सबको शीतल करते और खुद शीतल रहते, घुले हुए विष के वमन को निकाल देते और प्रेम के सागर में गोते लगाते, काश! जीवन में शब्दों को प्रयोग शब्दों की मर्यादा में होता, तो शब्दों में मिश्री ही होती, विष शब्द ही न होता।।

स्वयं को प्रेरित करें..

जब हम निराशा के चरम पर पहुँच जाते हैं, तो हमें चारों रास्ते बंद नजर आते हैं, परंतु उस समय स्वयं को प्रेरित करना, स्वयं को सही राह दिखाना ही नितांत आवश्यक है; क्योंकि दो ही मार्ग है - सकारात्मक और नकारात्मक। जब तक साहस है, मनोबल और इच्छाशक्ति है, तब तक हम नकारात्मक नहीं हो सकते हैं और जो नकारात्मक होगा वो कभी अपने आत्मबल में स्थितरता नहीं ला सकेगा।

उपलब्धि और अनुपलब्धि दोनों कुछ न कुछ शिक्षा देकर जाती है। जब भी हम कोई कार्य करें और उसमें उपलब्धि मिलती है, अहसास होता है हमने पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा और जिम्मेदारी से अपने कार्यों को किया है, इसलिये आज मैं सफल हुआ हूँ और जब अनुपलब्धि मिलती है तब भी वह प्रेरणा देकर जाती है कि अभी हमारे प्रयास, परिश्रम, निष्ठा और ईमानदारी में कहीं न कहीं कमी रह गई; अभी मुझे अधिक परिश्रम और अधिक साहस के साथ अपने कार्य को पूर्ण करना है।

अनेक बार हमें प्रेरित करने के लिये बड़े बुजुर्ग, अनुभवी, विषय विशेषज्ञ और नवीन संसाधन आदि उपलब्ध होते हैं, परंतु जब ये सब न हो और आत्मबल एवं इच्छाशक्ति कमजोर पड़ रही हो तब तो खुद को स्वयं प्रेरित करना पड़ेगा और स्मरण करना पड़ेगा! अपनी प्रत्येक उपलब्धि और अनुपलब्धि को। उपलब्धि के वे क्षण जिनमें अथक, निरंतर और कठोर परिश्रम किया था, और सफलता मिली। अनुपलब्धि के वे क्षण जब हम बहुत अधिक परिश्रम के उपरांत भी असफल हो गये।

इन बातों का स्मरण हमें स्वयं प्रेरित करेगा और आगे बढ़ने का साहस देगा। जब हम निराशा के चरम पर पहुँच जाते हैं, तो हमें चारों रास्ते बंद नजर आते हैं, परंतु उस समय स्वयं को प्रेरित करना, स्वयं को सही राह दिखाना ही

नितांत आवश्यक है; क्योंकि दो ही मार्ग है – सकारात्मक और नकारात्मक। जब तक साहस है, मनोबल और इच्छाशक्ति है, तब तक हम नकारात्मक नहीं हो सकते हैं और जो नकारात्मक होगा वो कभी अपने आत्मबल में स्थितरता नहीं ला सकेगा। हिन्दी सिनेमा की एक फिल्म आयी – 'द माउण्टेन'। इस फिल्म में नायक की नायिका एक पर्वत से गिर जाती है और मर जाती है। तब नायक को लगता है, जो मेरे साथ हुआ वह किसी ओर के साथ न हो, इसलिये वह स्वयं से प्रेरित होकर १२ वर्ष के कठिन परिश्रम से पर्वत को जड़ से खोद देता है। अति आश्चर्य वाला कार्य कर लेता है। जो कभी संभव न था, वो कार्य उसने कर लिया। मात्र स्वयं की प्रेरणा से। इसलिये आवश्यक नहीं है कि कोई हमें प्रेरित करें, बस इतना जरूर आवश्यक है, कि पिछली सारी उपलब्धि और अनुपलब्धि स्मृति/स्मरण में रहे, उनके सबल और दुर्बल पक्ष अपने चिंतन में रखे और एक सुनियोजित निर्णय पर पहुँचे।

मूल बात सिर्फ इतनी है कि हम अपने को सफल बनाने के लिये प्रत्येक नकारात्मक पहलु को सकारात्मकता के साथ स्वीकार करें। कुछ सूत्र यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ जो हमें स्वयं प्रेरित करेंगे –

- अपने लक्ष्य का निर्धारण।
- लक्ष्य की दिशा में प्रयास।
- असफलता पर चिंतनपूर्वक गलतियों का परिमार्जन करना।
- सफल होने पर उपलब्धियों में सहायक तत्त्वों का चिंतन एवं अग्रिम उपलब्धि हेतु सही प्रयास।
- हताशा और निराशा आदि दुर्भावनाओं को मन से दूर रखना।
- सकारात्मक सोच, वाणी का सदुपयोग और विचारों का समीचीन मूल्यांकन करना।
- कुछ कर गुजरने की गहन चाह रखना।
- हर लक्ष्य महत्त्वपूर्ण होना।
- श्रम के महत्त्व को जीवन में उतारना।
- सदा परिश्रम और प्रयास जारी रखना।

मित्र

कहा जाता है भाई साथ छोड़ सकता है, पर सच्चा मित्र कभी साथ नहीं छोड़ता। सच्चा मित्र तो वही है जो सही राह दिखाये। बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग में लगाये।

दीपक मिट्टी का है या सोने का, महत्त्वपूर्ण ये नहीं है, बल्कि वो अंधेरे में प्रकाश कितना देता है, यह महत्त्वपूर्ण है। उसी प्रकार से मित्र गरीब है या अमीर है यह महत्त्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो आपकी मुसीबत में आपका कितना साथ देता है महत्त्वपूर्ण वह है।

कहा जाता है भाई साथ छोड़ सकता है, पर सच्चा मित्र कभी साथ नहीं छोड़ता। सच्चा मित्र तो वही है जो सही राह दिखाये। बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग में लगाये। सच्चे मित्र की परिभाषा को परिभाषित करना बहुत कठिन है। सच्चे मित्र के रूप में हम व्यक्ति को भी सम्मिलित कर सकते हैं और अचेतन पदार्थों को भी। पुस्तकें भी सच्चे मित्र है; क्योंकि वे हमें सही राह दिखाने में मदद करती है। विद्यालय, घर, परिवार, पड़ोसी और जीव-जन्तु आदि जिनके माध्यम से हम सही राह पर चलें और भटके हुये मार्ग से हटाकर हमें सही मार्ग में स्थित कर दें, सही मायने में मित्र तो वही है।

प्रेम, स्नेह और वात्सल्य से भरा हुआ मित्र का जीवन सदा प्रेरणीय होता है। मित्र जीवन को जीने की शैली देता है और आधार भी देता है। जहाँ एक ओर वह हमारी प्रसन्नता में खुशियाँ मनाता है वहीं दूसरी ओर हमारे दु:ख में मजबूती से खड़ा होकर साहस देता है। सच्चे और पक्के मित्र मिलना दुर्लभ है। ऐसे मित्रों को प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति के लिये सौभाग्य सूचक है।

हमने फिल्मों में देखा है कि कैसे मित्र की खुशी के लिये अपने जीवन के अमूल्य सुख को दूसरा मित्र खो देता है? त्याग कर देता है? एक फिल्म

दोस्ती है। जिसमें एक अंधा और एक लगड़ा। पर दोनों में मित्रता बहुत होती है, अपने मित्र को ऊँचाईयाँ देने के लिये एक मित्र मेहनत करता है और उसको आगे बढ़ाता है। सच्चे मित्र की यही पहचान है।

एक संवेदनशील कहानी है। कहानी विषयवस्तु को समझाने के लिये होती है जो अपेक्षाकृत कथन के रूप में प्रस्तुत होती है।इसीलिये उद्देश्य की पूर्ति ही कहानी की महत्ता है। एक बालक और एक पेड़ में मित्रता हो जाती है। बालक नियमित रूप से पेड़ के पास जाता, पेड़ से बातें करता, हँसता और खिलखिलाता। बहुत आनन्दित होता। पेड़ को भी अच्छा लगने लगा। वह भी बालक का प्रतिदिन इंतजार करता, बालक आता और दोनों आनंदित होकर खेलते। धीरे-धीरे बालक बड़ा होता गया, उसका पेड़ के पास आना-जाना कम हो गया। एक दिन जब वह पेड़ के पास से गुजर रहा होता है तो पेड़ आवाज देता है - मित्र! अब क्यों नहीं आते मेरे पास? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आया करो। वह पेड़ से कहता है - तुम्हारे पास आने से मुझे क्या लाभ? मेरे पास अभी कोई रोजगार नहीं है जिस कारण से मैं परेशान हूँ। क्या तुम मेरी परेशानी दूर कर सकते हो? वह पेड़ बोला - बिल्कुल मित्र! मेरे पास बहुत सारे फल है, तुम इनको बेचकर अपना रोजगार पा सकते हो। बस फिर क्या? वो प्रतिदिन फिर से आने लगा। जब पेड़ के फल समाप्त हो गये और उसने भी अपना दूसरा रोजगार जमा लिया तो वह पेड़ के पास आना बंद कर देता है। एक दिन फिर पेड़ कहता है कि अब क्यों नहीं आते हो मित्र? वह कहता है - रोजगार तो जम गया। पर अभी तो घर भी बनाना है। तुम्हारे पास आने से क्या लाभ? वह पेड़ कहता है - देखो! मेरे पास बहुत मोटा तना है और मेरी शाखायें बहुत लम्बी है। क्यों न तुम मेरे शरीर से इनको निकाल लो? अपना घर बना लो। उसने ऐसा ही किया। उसने पेड़ के तने और शाखाओं को काटकर उसकी लकड़ियों से घर बना लिया, वह कुछ दिन तो आया, फिर उसने आना बंद कर दिया। एक दिन वह मित्र कहीं जा रहा था। तब फिर से वह पेड़ बोला- मित्र! क्यों परेशान लग रहे हो? क्या समस्या आ गयी है? उसने कहा - मुझे नदी के उस पार जाना है और जाने के लिये मेरे पास कोई साधन नहीं है। तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? उसने कहा- देखो! अभी मेरे शरीर में बहुत लकड़ी है। तुम इससे नाव बना सकते हो।

उसने ऐसा ही किया और नाव बनाकर वह वहाँ से निकल गया। बहुत दिन हो गये। उसका मित्र जब वापस नहीं आया। तो वह हर एक राहगीर से पूछता – क्या तुमको मेरा मित्र मिला है? पर कोई जबाब नहीं मिलता। अब तो डूढ़ ही बाकी रह गया था, फिर भी वह अपनी अंतिम साँस तक उस मित्र का इंतजार कर रहा था। उसने देखा इतनी भयाभय रात्रि में और कडकडाती ठंडी में मेरा मित्र चला आ रहा है। उसने मित्र को आवाज दी – मित्र ! आओ मेरे पास। थोड़ी देर बैठो और बात करो। उसने कहा – मुझे बहुत ठंड लग रही है। तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? जो मैं तुम्हारे पास रूकूँ। उसने कहा – अभी मेरे पास डूढ़ बचा है। तुम इसको जलाकर अपनी ठंड दूर कर सकते हो। उसने ऐसा ही किया। और उस डूढ़ को भी जला दिया। उस पेड़ का जीवन तो चला गया। पर वह पाठ सिखा गया, जब मित्रता का समर्पण किया है, तो जीवन देकर भी पूरा करेंगे। यह तो उदाहरण है। जीवन में अनेक मित्र ऐसे होते हैं, जो अपना स्वयं अपकार सोचे बिना भी हमारे उपकार के लिये तत्पर रहते हैं।

अगर हमारे पास भी ऐसे मित्र है तो निश्चित ही मानना जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आयेगी। यदि आ भी जाती है तो उसमें मेरा मित्र मेरे साथ खड़ा है। अच्छे मित्र बनाओ और अच्छा जीवन जिओ। हमें ध्यान रखना चाहिये कि –

- अच्छे मित्रों के लिये आवश्यक है कि हम भी अच्छे बने।
- हम भी उपकार के बदले उपकार करें।
- मित्रता में स्वार्थ न हो।
- परस्पर समर्पण हो।
- हृदय की मलिनता और एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश न हो।
- मित्र की गलतियों के लिये उसको समझायें और सही राह दिखाये।
- मित्र के मुँह पर उसकी झूठी प्रशंसा न करे, जबकि उसको उसकी गलतियों पर समझायश देते रहे।
- व्यसनों से दूर रहे।

दीपक मतलब मिट्टी के ही..

मित्रो! ध्यान रखना! वे मात्र मिट्टी के दीपक नहीं है, अपितु हमारी भारतीय संस्कृति को दिग्दर्शित करने वाली जीवित परम्परा है, हमारे मानव-मूल्यों की पहचान है, मित-व्ययता है, मातृभूमि के चरणों की रज है, सौंधी खुशबू और शीतलता का प्रतीक है, घर में होना ही जिसका सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है।

कितना अद्भुत संगम होता है मिट्टी के साथ अग्नि का...। जब दीपक के रूप में मिट्टी के दिये जलाये जाते हैं तो उन दीपकों की शीतल मिट्टी स्पर्श अत्यंत आत्मीय होता है। भारतीय परम्परा में मिट्टी की कीमत को प्रत्येक मानव मानता है। मिट्टी को ही अपना प्रारंभ और अंत मानता है। कुंभकार मिट्टी को कुंभ का आकार देता है, दीपक का आकार देता है और प्रस्तुत करता है हम सभी के लिये, मंगलमयी जीवन बनाने के लिये। कलश जो मस्तिष्क पर विराजमान कर घर के मंगल के लिये सकारात्मक ऊर्जा को देने वाली ईशान कोण की दिशा में रखते हैं। दोनों हाथों को चन्द्राकार बनाकर उसके बीचोबीच दीपक को रखकर गुणों में श्रेष्ठजनों की वंदना करते हैं और उसको भी अपने घर के चारों कोनों में स्थापित करते हैं।

दीपक की भूमिका घर में, दुकान में, मंदिर में और उन सभी स्थानों में जहाँ सकारात्मक ऊर्जा के केन्द्र स्थापित करना चाहते हैं, बहुत महत्त्वपूर्ण है। आश्चर्य होगा - जब हम किसी अन्य धातु के दीपक जलाये और उसके स्थान पर मिट्टी के दीपक जलाये, तो निश्चित ही मिट्टी के दीपक जलाने पर विशिष्ट ऊर्जा का संचार का अनुभव करते हैं। जब भी कोई दीपक शब्द का उच्चारण करता है तो हमारे मानस पटल पर वही मिट्टी का दीपक अंकित हो जाता है। एक विशेषता और हम प्राय: देखते हैं चित्रों के माध्यम से - चाहे चित्र दीवाल

पर अंकित हो, चाहे कम्प्यूटर में, चाहे पुस्तक में या अन्य कहीं- वे सारे चित्र मिट्टी के दीपक की आकृति के और उससे नि:सृत लौ को प्रकट करने वाले स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। अद्भुत संगम है मिट्टी और उसके दीपकों का।

आज बाजार में अनेक प्रकार के दीपक आ गये हैं जैसे - स्टील, स्टेनलेस स्टील, चाँदी और सोने आदि धातुओं के। कुछ विशिष्टतापूर्वक कहे तो चाइनीज दीपकों की सीरीज भी आ गई है। सब अच्छे होंगे, पर मिट्टी के दीपकों को प्रज्जलित करने का जो आनंद और अनुभव है, वे इनमें कदापि नहीं है।

मित्रो ! बड़े मन से और श्रद्धा से कुंभकार दीपकों का निर्माण करता है, उसका उद्देश्य उजाला करना और दूसरों को प्रकाश देना होता है। आज हम थोड़े-से भौतिकवादी हो गये हैं, ऐसे में केवल भौतिक वस्तुओं का उपयोग करना ही श्रेयस्कर समझने लगे हैं। **पर मित्रो! ध्यान रखना! वे मात्र मिट्टी के दीपक नहीं है, अपितु हमारी भारतीय संस्कृति को दिग्दर्शित करने वाली जीवित परम्परा है, हमारे मानव-मूल्यों की पहचान है, मित-व्ययता है, मातृभूमि के चरणों की रज है, सौंधी खुशबू और शीतलता का प्रतीक है, घर में होना ही जिसका सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है।**

मित्रो ! हम फिर से उसी संस्कृति की परम्परा का निर्वहन करें, जो हमारे संस्कारों का पुनर्जीवित बनाये रखने का उपक्रम है। हमारे द्वारा लिये गये दीपकों से उन कुंभकारों के घरों के दीपक जल उठे, उनका पर्व भी रोशनी और उल्लास से भरा हुआ हो जाये। आओ मित्रो ! हम सब मिलकर एक छोटा-सा संकल्प करें, अब से हम मिट्टी के ही दीप जलायेंगे, भारत को महकायेंगे, राष्ट्र को समृद्ध और गौरवशाली बनायेंगे।

अपनी कमाई का हो एक मधुर उद्देश्य भी.....

धन कमाना, जीवन में अनिवार्य है; क्योंकि यही है जो जीवन को व्यवस्थित करेगा। परंतु एक अन्य विशेष बात इसमें हो सकती है कि इसका एक मधुरतम ध्येय भी।

मानव जीवन है, तो उसकी जिम्मेदारियों को निभाने के लिये कर्म करना और कार्य करना अनिवार्य है। गृहस्थ बनकर अपना और अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, अत्यावश्यक है। यह क्रम प्रारंभ होता है, अपनी आजीविका से। जीव की आजीविका यदि अच्छी है, तो उसका रहन-सहन, आचार-विचार, कार्य करने की पद्धति और सामाजिक जीवन में कुछ नया करने का ध्येय उसको सरलता से प्राप्त हो सकता है। संसार का प्रत्येक मानव किसी न किसी प्रकार से अपनी आजीविका चलाता है, अपने आश्रितों का एवं स्वयं का भरणपोषण करता है। **धन कमाना, जीवन में अनिवार्य है; क्योंकि यही है जो जीवन को व्यवस्थित करेगा। परंतु एक अन्य विशेष बात इसमें हो सकती है कि इसका एक मधुरतम ध्येय भी।**
कुछ प्रश्न है जिन पर हम सब विचार करें -
१. क्या हम धन सिर्फ इसीलिये कमा रहे हैं क्योंकि हमें अपने परिवार का भरण-पोषण करना है?
२. क्या हमारा ध्येय धनाढ्य और वैभवशाली बनना ही है?
३. क्या हमारा उद्देश्य भोग-विलासता को भोगना ही है?
४. क्या हम सिर्फ दुनियाँ की होड़ में सम्मिलित होना चाहते हैं?
५. क्या हम भी केवल वही करना चाहते हैं, जो अन्य लोग कर रहे हैं? अपने शरीर को आरामदेह और विलासितापूर्ण जीवन के लिये।

ऐसे अनेक प्रश्न हैं। जिनके समाधान हम स्वयं में ही खोज सकते हैं।

परन्तु फिर भी मेरा व्यक्तिगत चिंतन है कि हम कुछ हटकर कर सकते हैं। क्या होगा अलग हटकर? इसका विचार जरूर करें। **दैनिक भास्कर में श्री एन.रघुरामन का एक लेख प्रकाशित हुआ उसमें उन्होंने बड़ी सुंदर बात लिखी- 'आजीविका के लिये पैसा तो कमाना चाहिये, लेकिन उस प्रक्रिया में कोई ऐसी बात हो, जिसका कोई उद्देश्य हो और संतोष भी मिलता हो तो कमाई का स्वाद और भी मधुर हो जाता है।'** वास्तविकता तो यही है कि हम प्रत्येक कार्य का उद्देश्य बनाकर चलते हैं, तो निश्चित ही संतोष और उसकी प्राप्ति का मधुर स्वाद प्राप्त होता है। कुछ सूत्र जो जीवन को शायद आजीविका के साथ जोड़कर करने में हमें भी संतोष और आनन्द प्रदान करें -

१. जो भी कार्य करें, पूरे मन और विश्वास के साथ करें।

२. जिस माध्यम से आजीविका कमा रहे हैं, उसके प्रति निष्ठा और ईमानदारी बनाये रखे।

३. प्रयास करें, हमारी आजीविका किसी के जीवन को घात करने वाली, हृदय विदारक और मानवीय संवेदनाओं को ठेस पहुँचाने वाली न हो।

४. अपनी आजीविका को तुच्छ न समझकर उसमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करने का प्रयास करें।

५. हम अपनी तुलना किसी अन्य से न करके अपितु अपने द्वारा की जाने वाली गलतियों के परिमार्जन से करें और उनको सुधारकर दृढ़तम आजीविका के महल गढ़े।

६. हम जितना भी धन प्रतिदिन, पन्द्रह दिन, महीने या वर्ष में कमाते हैं, उसके हिस्से से कुछ निकालकर हम ऐसे कार्यों में अवश्य लगाये, जिससे आवश्यकता वाले लोगों को उसका लाभ मिलें।

७. सदा दूसरों की मदद के लिये अपनी आजीविका की कमाई से कुछ न कुछ खर्च करें, निश्चित ही संतोष मिलेगा।

८. हम वर्ष में कम से कम एक बार कुछ असमर्थ विद्यार्थियों की फीस, पुस्तकें, बेग या कपड़े की व्यवस्था करके उसका उपयोग कर सकते हैं।

९. अपने आसपास के क्षेत्र में कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला या पुरुष है, तो उसको भोजन की या कपड़ों की या कोई अन्य व्यवस्था करके भी हम

अपनी आजीविका के साथ–साथ संतोष प्राप्त कर सकते हैं।
१०. हमारे घर, दुकान, ऑफिस या अन्य स्थान जो हम से जुड़ा है, उसकी देखरेख करने वाले, सफाई करने वाले, या फिर उनके लिये अपना योगदान वाले कर्मचारियों कोई नाम देकर या फिर उनकी किसी घरेलू समस्या में समाधान परक कार्य करके मदद कर सकते हैं।

मित्रो! हमारे पास बहुत से अवसर होते हैं जीवन में, जिनका सदुपयोग करके हम अपनी आजीविका के साथ–साथ एक उद्देश्यपूर्ण कमाई कर सकते हैं। कमाई तो सबको करना, इसके बिना कार्य भी नहीं बनेगा, परंतु इस कमाई में एक उद्देश्य ओर सम्मिलित हो जाये, तो देखना! संतोष और आनन्द बढ़ जायेगा। हम जिस भी व्यापार या नौकरी में हैं, उसके बारे में बारीकियों को पहचानने लगते हैं, तो क्यों न? जिनको वह व्यापार या नौकरी करना है, उनको उसकी जानकारियाँ प्रदान कर उनकी मदद की जाये? क्या ये उद्देश्यपूर्ण कमाई नहीं होगी? मेरे अनुमान से तो होगी।

सिर्फ इतना ही जीवन में याद रहे कि बिना उद्देश्य के धनोपार्जन हो या कोई अन्य कार्य वह संतोष नहीं दे सकता है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवन! मुझे इतना देना, जितने में मैं और मेरे परिवार का भरण–पोषण समीचीन रूप से कर सकूँ और मैं इसमें से कुछ बचाकर उनकी मदद कर सकूँ, जो असहाय है। शायद ऐसी भावना हमारे जीवन की कमाई का एक मधुर उद्देश्य हो सकती है। वरन् किसी ने कहा है –

इस जीवन में खूब कमाये तूने हीरे मोती।
याद रखना दोस्तो! कफन में जेब नहीं होती॥

विवाह एक उत्तरदायित्त्व...

विवाह एक ऐसी प्रक्रिया है, जो दो अपरिचित विपरीत लिंग को एक दूसरे के निकट लाते हैं, उनके वैचारिक, चारित्रिक, भावनात्मक और क्रियात्मक सभी पहलु परस्पर जुड़ जाते हैं। जो स्त्री/पुरुष मिला है, वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मानकर एक-दूसरे के साथ आनंद का जीवन व्यतीत करते हैं। किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति क्यों न हो? वह भी विवाह के इस संबंध और विश्वसनीयता को स्वीकार करता है।

मार्ग तो दो ही है - पहला सद्गृहस्थ बनकर घर की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुये देश, समाज और राष्ट्र के गौरव के लिये अपना योगदान करो और दूसरा स्त्री मात्र का या स्त्री पुरुष मात्र का त्याग कर देश, समाज और अपने कल्याण के लिये कार्य में संलग्न हो जाये। इसके बीच का मार्ग केवल भटकाव है, अविश्वसनीय है और अहितकारी है। क्योंकि जिसने स्त्री/पुरुष को स्वीकार नहीं किया, या फिर उसका त्याग नहीं किया। उसका विश्वास करना बड़ा कठिन है, उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिह्न है। हो सकता है अनेक लोग मेरे उक्त विचारों से सहमत न हो, परंतु महानुभाव चिंतन करने पर परिणाम मेरे ही पक्ष में होगा।

विवाह एक ऐसी प्रक्रिया है, जो दो अपरिचित विपरीत लिंग को एक दूसरे के निकट लाते हैं, उनके वैचारिक, चारित्रिक, भावनात्मक और क्रियात्मक सभी पहलु परस्पर जुड़ जाते हैं। वे मात्र एक स्त्री-पुरुष ही नहीं होते हैं अपितु दोनों के स्वरूप में अंतर भी आ जाता है क्योंकि वे विवाह के समय वर-वधु के नाम से पुकारे जाते हैं, फिर वे पति-पत्नी के नाम से पुकारे जाने लगते हैं। फिर वे माता-पिता के रूप में जाने जाते हैं। चाचा-चाची, बुआ-फूफाजी, मामा-मामी, दादा-दादी, नाना-नानी आदि नामों से उसकी पहचान होती है। उनका अपना

व्यक्तिगत अस्तित्व परस्पर जुड़ जाता है। सुख-दुःख, खोना-पाना यहाँ तक कि खाना-पीना भी एक दूसरे का पूरक बन जाता है। जहाँ आपसी प्रेम उस संबंध के सुखद पहलु हैं, वहीं दूसरी ओर आपसी कलह इसके दुःखद पहलु भी है।

महानुभाव! विवाह एक उत्तम प्रक्रिया है, उन लोगों के लिये जो अपने असंयमी जीवन को संयमित करना चाहते हैं, उन्होंने अपनी विषय वासनाओं को एक तक ही सीमित कर लिया है। उनको जो स्त्री/पुरुष मिला है, वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मानकर एक-दूसरे के साथ आनंद का जीवन व्यतीत करते हैं। किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति क्यों न हो? वह भी विवाह के इस संबंध और विश्वसनीयता को स्वीकार करता है। विवाह के पूर्व का जीवन स्वतंत्र होता है, व्यक्तिगत होता है, परंतु उसके बाद का जीवन परस्पर समन्वय और विवेक से चलता है।

हो सकता है कहीं-कहीं दोनों में वैचारिक मत-भेद हो, परंतु वे वैचारिक मतभेद मनभेद में तब्दील न हो क्योंकि मतभेद मिटाये जा सकते हैं, परंतु मनभेद नहीं। आनंद का जीवन तो तब है जब मनभेद भी हो जाये और उसको ठीक करके पुनः नवीन पद्धति से जीवन का आनंद उठाया जाये।

महानुभाव! विवाह के बाद स्त्री/पुरुष दोनों के जीवन में अनेक परिवर्तन आते हैं, जो स्वाभाविक है और विवाह के प्रभाव है। उनकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, स्वच्छंदता पूर्णतया समाप्त हो जाती है, विवेक और समझदारी के पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्य करना होता है। स्त्री को पूरे का घर उत्तरदायित्त्व एक जिम्मेदार गृहिणी बनकर, बहु-भाभी-चाची-बुआ-मामी बनकर निभाना पड़ता है और पुरुष को समस्त संबंधों को बनाये रखने के लिये प्रत्येक के साथ तालमेल बनाकर और उनसे निरंतर मेल-मिलाप करते रहना पड़ता है। संतान की जिम्मेदारी आने पर पति-पत्नी दोनों को गंभीरता के साथ-साथ समर्पण और त्याग की परिभाषा भी सीखने और अनुभव करने से मिलती है। **यदि कहा जाये तो सही मायने इस बात का ज्ञान भी तभी होता है कि उनके माता-पिता ने उनके पालन-पोषण के लिये क्या-क्या कष्ट झेले होंगे? तब माता-पिता के उपकार हम ज्यादा और भलीभाँति समझ सकते हैं।**

मेरा मानना है कि हम तब अपने माता-पिता के ज्यादा करीब आने की

कोशिश नहीं कर पाते हैं, जब हम स्वयं माता-पिता न हो जाये। सम्पूर्ण जीवन एक-दूसरे के साथ बिताना और आनंद का अनुभव करना। ये सद्‌गृहस्थ की पहचान है।

विवाह एक समझौता नहीं है, अपितु वह एक ऐसा मार्ग है, जहाँ दो विपरीत लिंग, विचार धारा और मन्तव्य में समन्वय का दृष्टिकोण पैदा करता है। ये अत्यंत ही भावनात्मक और संवेदनशील संबंध है। इसमें विश्वास एक ऐसा शब्द है, जो अत्यंत ही मजबूत नींव का कार्य करता है। दोनों का एक दूसरे के प्रति अगाध और समर्पित विश्वास ही दोनों के आनंदमयी जीवन की आधारशिला होती है। जहाँ कहीं इस विश्वास को ठेस पहुँचती है, वहाँ समझना, इस संबंध में गाँठ पड़ जाती है; क्योंकि भारतीय परम्परा और संस्कृति में शीघ्रता से संबंधों को विच्छेद करना उत्तम नहीं माना गया है। इसीलिये अविश्वास के पश्चात् भी विश्वास बनाकर एक-दूसरे के जीवन को आधार देने का प्रयास करते हैं। हालाकि मानवीय संवेदनायें हैं, इसलिये भूल होना भी स्वाभाविक है, कुछ स्वाभावगत होती है, तो कुछ निमित्त वश। परंतु कोई भूल भरोसे को तोड़ती है, तो मानना, वह भूल सम्पूर्ण जीवन को अत्यंत ही घातक है।

मित्रो! वैवाहिक स्थिति जीवन को नवीन दिशा प्रदान करती है। वह नवीन दिशा मानवीय भूलों को क्षमाकर हमें एक श्रेष्ठ और उत्तरदायित्व पूर्ण मार्ग में संलग्न करती है। वैसे तो हम सभी ने देखा है, जो शादी के पहले बहुत उद्दण्ड और अनुशासनहीन था, वह शादी के पश्चात् अत्यंत ही जिम्मेदार और अनुशासनप्रिय हो जाता है। परंतु कुछेक उदाहरणों में बदलाव मुश्किल ही होते हैं। वे अपने आपको बदलना ही नहीं चाहते हैं और वे अपना सम्पूर्ण जीवन पतन की ओर ले जाते हैं।

विवाह के अनेक ऐसे पहलु जिनमें जिम्मेदारियाँ अत्यंत ही बड़ी और परेशान करने वाली लगने लगती है। जहाँ तक पत्नी का प्रश्न है, तो वह एक समय बाद थोड़ी-सी कठिन समझ में आने लगती है। जबकि होता क्या है? जिम्मेदारियाँ उसको और अधिक गंभीर बना देता है। उसकी कई विशेषतायें होती है, वह अपनी आय के हिसाब से खर्च करती है, और घर को सदा प्रसन्न और खुश रखने की कोशिश करती है। एक ओर जहाँ उसको सुंदर वस्तुओं को

संग्रह करने का शौक और खरीदना आदि आनंदित करता है, वही अपनी इच्छाओं को शांत कर अपने परिवार के लिये समर्पण की भावना भी कूट-कूट कर उसके अंदर भरी होती है। वहीं दूसरी ओर पति कमाता है और सोचता है कि इससे परिवार का आनंद बढ़े और सबका जीवन कुशलता में व्यतीत हो। वह अपने व्यय को कम करके पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति अत्यंत उदार हो जाता है।

महानुभाव! विवाह हमें बहुत कुछ सिखलाता है, संयम का पाठ भी सिखलाता है, संतोष, संघर्ष, धर्म-साधन, नैतिकता, दान की भावना और दूसरों की मदद करना आदि अनेक गुणों को सिखलाता है। बस, कौन सीख पाता है? और कौन नहीं? ये स्वयं पर आधारित है।

बचाव ही जीवन है

करंट लगने से मौत और पानी में डूबकर होने वाली मौत से सावधान एवं सावधानी के लिये विशेष जागरूकता हेतु लेख

बरसात का मौसम हरियाली और बहार लेकर आता है। जहाँ गर्मी के थपोड़ों ने शरीर की वेदना को तर-तर कर दिया हो, ऐसे में पानी का गिरना और मौसम का बदलना हमारे लिये कितना सुहावना होता है। परिवर्तन जीवन को आनंदित करता है। परन्तु हम प्रतिदिन समाचार-पत्रों में पढ़ रहे हैं कि इस परिवर्तित मौसम ने अनेक लोगों के जीवन को नाश कर दिया है। करंट लगने से होने वाली मौतें और पानी में डूबकर होने वाली मौतों ने लोगों के दिल दहला दिये हैं। ऐसे में विचार करें - क्या हम भी वही गलती करने जा रहे हैं? जो मृत लोगों के द्वारा की गई है। हमने देखा होगा कि **अधिकांश घरों में सीधे तार जोड़कर पंखा, पानी की मोटर, कूलर, मिक्सी आदि चलाई जाती है, जिसमें खतरा निरंतर बना रहता है, और हम इस सोच में रहते हैं कि हमारे साथ दुर्घटना हो ही नहीं सकती है।** स्विच को गीले हाथों से चालू-बंद करना, पावर-बोर्ड के तार कमजोर केवल से जोड़े रखना आदि। इसमें हम धन बचाने के उद्देश्य से ऐसा नहीं करते हैं वरन् इसमें हमारा आलस्य होता है और सोचते रहते हैं कि हम कर लेंगे। और यही बात कि हम कर लेंगे, एक दिन हमारे लिये घटनाओं का आमंत्रण देने के लिये पर्याप्त हुआ करती है। सब जानते हैं कि लोहे के कूलर में करंट की संभावना ज्यादा होती है, ऐसे में हम कूलर को स्विच बंद करके एवं पिलक निकालकर ही छुये, परंतु ऐसा कर नहीं पाते हैं, मात्र अपने आलस्य के कारण। ये भी जानते हैं कि लोहे के कूलर के नीचे लकड़ी की कोई चौकी आदि लगाकर रखे जिससे कभी करंट आता भी है तो नीचे जमीन पर न फैले। खैर।

खुले में खड्डे है, पानी भरा हुआ है, बच्चें जाकर वहाँ खेलते हैं, नहाते भी हैं और आनंदित होते हैं। बालपन है, इसलिये ये सब स्वाभाविक है। परंतु इन सबके बीच में हम समझदार लोगों ने शायद ही समझाइश दी हो, जब पानी से भरे खड्डे हो, नदी उफान पर हो, नदी में बहुत सारा पानी हो, ऐसे में क्या करें? तैरना की एक कला पहले आमतौर पर प्रत्येक बालक जल्दी सीख लिया करते थे, क्योंकि वे नदी और तालाब में अनेक तैराकों को देखकर और उनके संरक्षण में सीखा करते थे। परंतु अब स्विमिंग पूल हर जगह उपलब्ध नहीं है। खैर।

विचार करना है कि हम कैसे इन अनायास उत्पन्न होने वाली घटनाओं को रोक सके? और स्वयं को इससे बचा सके। हम भी गलती करते हैं, सिर्फ अपने आलस्य के कारण। मित्रों! सिर्फ इतना करना है कि –

बिजली के बोर्ड, तार, लोहे के कूलर, बिना पिलक लगे स्विच, टूटे बोर्ड, कमजोर केवल, लोकल मोबाइल चार्जर, स्विच खुले छोड़ना आदि से आलस्य को छोड़कर बचे। तुरंत रिपेरिंग करवाये।

बच्चों को और उन सभी को जो तैरना नहीं जानते हैं, उन्हें बताये कि कहीं भी भरे हुये पानी में न उतरे, न तैरे और न खेले। नदी-तालाब में इन दिनों बहुत पानी होता है इसलिये यदि कभी नहाने भी वहाँ जाते हैं तो हम किसी के संरक्षण में रहे। अगर बन सके तो इस मौसम में जाये ही न।

मित्रो! हम प्रयास करे और आगे से कोई घटना न हो, इसके लिये सजग बने।

जूते पॉलिश

हमारा छोटा-सा योगदान उसकी आजीविका को बढ़ायेगा। क्योंकि वह ईमानदारी और निष्ठा के साथ तपती धूप में बैठकर लोगों के जूते-चप्पल सी रहा है और पॉलिश कर रहा है। तो क्यों न हम भी उसके सहयोगी बनें?

मैं अपने बेल्ट में टूटी हुयी पिन जुड़वाने बाजार पहुँचा। बहुत छोटा-सा काम था, कोई दुकानदार उसको ठीक करने के लिये तैयार नहीं था। मैं एक जूते-चप्पल सिलने और पॉलिश करने वाले के पास पहुँचा और मैंने उसको बेल्ट की पिन जोड़ने के लिये कहा - उसने तत्काल उत्तर दिया - जी साहब! मैं उसके काम को देख रहा था, काम बहुत छोटा-सा था, पर उसकी मेहनत ज्यादा हो रही थी। पहले सोचा था, पाँच रूपये दूँगा, फिर सोचा दस दूँगा और अन्त में सोच ही लिया, कितने भी माँगे इसको बीस रूपये ही दूँगा। थोड़े समय बाद जब उसने बेल्ट ठीक कर दी तो मैंने उससे पूछा - भाई! कितने पैसे हुये? उसने कहा - १० रुपये। पर मैंने उसको २० रुपये दिये और मैंने उसको शुभकामनायें देते हुये कहा - खूब परिश्रम करना और खूब सफल होना। मैं वहाँ खड़ा-खड़ा देख रहा था कि इतनी तेज धूप है। उसने छाता तो लगा रखा है, वह छाता जगह-जगह से फट गया है, बहुत सारे छेद हो गये हैं उसमें, तो पूरे शरीर पर धूप पड़ रही है। इतनी तपती दोपहरी में कैसे इतना परिश्रम? मैंने नजर दौड़ाई उसके रखे सामानों पर। कुछ फटे हुये जूते और कुछ टूटी हुई चप्पल। उसके पास में एक जोड़ी चप्पल और रखी थी, जिन पर कई जगह से सिलाई की गई थी, बहुत खिस भी गई थी। मैंने उससे तो नहीं पूछा, पर मैं समझ गया है। चप्पल इसी की है। हमारे छोटे-छोटे से काम करके वह अपनी आजीविका चलाता है। एक सच्चे राष्ट्रभक्त की पहचान है ये। बस मित्रों मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि उसकी इस राष्ट्र निष्ठा, ईमानदारी और कर्मठता को ध्यान में रखकर हम भी

उसकी आजीविका के हिस्से बन सके तो कितना अच्छा होगा? इसके लिये एक छोटी–सी पहल जीवन में जरूर करना चाहिये। जिसका उल्लेख मैं आपसे कर रहा हूँ।

हम प्रायः अपने जूते पॉलिश घर पर ही करते है। कुछ पैसे बचा लिये जाते हैं हमारे द्वारा। अगर माह में एक बार ही इनकी दुकान से जूते पॉलिश करवाये जाये तो इसकी कमाई में हम बहुत बड़े सहयोगी बनेंगे। हमारा छोटा–सा योगदान उसकी आजीविका को बढ़ायेगा। क्योंकि वह ईमानदारी और निष्ठा के साथ तपती धूप में बैठकर लोगों के जूते–चप्पल सी रहा है और पॉलिश कर रहा है। तो क्यों न हम भी उसके सहयोगी बनें। सोचिये! विचारिये! और कुछ नया कीजिये! ! ! ! !

रखें अच्छी यादें

जीवन में गलतियाँ होना स्वाभाविक है। अनेक बार होगी और हुई है। परंतु वे गलतियाँ हमको कुछ नया करने की प्रेरणा दे जाये, कुछ नया बनने की प्रेरणा दे जाये और जीवन में नवीन दिशा की अवधारणा निर्मित करा जाये। इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं होगा।

जीवन में अनेक पल ऐसे आते हैं जिनके कारण हमारे हृदय में एक टीस उत्पन्न हो जाती है और वह टीस बैर के रूप में बदल हो जाती है। एक छोटा-सा कांटा पूरे जीवन को नासूर की तरह चुभने लगता है। यदि जीवन में हमने बहुत बडे से बडे संकटों और कष्टों को देखा है परंतु एक छोटी-सी बात दिल में घर गयी तो समझना, हमारे पूरे जीवन के बडे से बडे संघर्ष एक तरफ हो जायेंगे। मित्रें! सोचो! हम अपने जीवन की कडवी यादों को भुला दें और जीवन को सदा नयी दिशा दें। कुछ ऐसा करें, जिससे जिन्होंने हमारा अपमान और नुकसान किया हो, वह भी हम से प्रेरणा लें। कोई न कोई जीवन का पल प्रत्येक मानव को प्रेरित करें। ऐसा कुछ करें। दो दोस्त थे। दोनों यात्रा पर जा रहे थे। बीच रास्ते में भोजन के लिये एक पेड की छाया में रूके। किसी बात को लेकर कहा-सुनी हो गई, और एक मित्र ने दूसरे को थप्पड मार दिया। जब उसने उसको थप्पड मारा, तो उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप हो गया। बहुत देर उन दोनों के बीच बात नहीं हुई। थोडी दूर चलने पर जिसको थप्पड लगा था, वह किसी दलदल में फंस गया और अपने मित्र को पुकारने लगा। मित्र ने आकर उसकी जान बचा ली। उसी समय उसने कुछ लिखा। तब वह मित्र पूछता है- तुमने पहले जब मैंने थप्पड मारा था तो मिट्टी पर लिखा था, कि मेरे प्रिय मित्र ने मुझको थप्पड मारा है और अब तुमने इस पेड लिख दिया कि मेरे मित्र ने मेरी जान बचाई है, समझ नहीं आया। तो उसने कहा- मिट्टी पर इसीलिये लिखा कि गुस्सा तो था मन में, पर उस गुस्से को जीवन भर नहीं रखना है, उसकी यादें नहीं संजोनी, पर आज जब तुमने मेरी

जान बचाई है, तब मैंने पेड पर इसीलिये उकेर दिया क्योंकि इस बात को सदा याद रखना है कि मेरे मित्र ने मेरी जान बचाई है।

उक्त उदाहरण का मात्र यही उद्देश्य है कि अच्छी यादों को संजोना चाहिये और बुरी यादों को मन पर हावी नहीं होने देना चाहिये।

छोटी-छोटी बातें पूरे जीवन को श्रेष्ठ नहीं बनने देती है। इसीलिये किसी ने कहा-

इंकार किया जिन्होंने मेरा समय देखकर,
वादा है मेरा, ऐसा समय भी लाऊंगा,
कि मिलना पडेगा,
मुझसे समय लेकर।।

हम अपना समय दूसरे का नुकसान करने में या फिर किसी से बदला लेने या फिर किसी छोटी-सी बात को हृदय में रखकर नष्ट न करके खुद को इतना मजबूत बनाये जिससे हम सबके के लिये प्रेरणीय बनें। जीवन में गलतियाँ होना स्वाभाविक है। अनेक बार होगी और हुई है। परंतु वे गलतियाँ हमको कुछ नया करने की प्रेरणा दे जाये, कुछ नया बनने की प्रेरणा दे जाये और जीवन में नवीन दिशा की अवधारणा निर्मित करा जाये। इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं होगा।

बस इतना ही विचार श्रेष्ठ है, जिससे हमारे जीवन में अच्छा होना है, जो जीवन को श्रेष्ठ बनायेगा, उन यादों को संजोना है, शेष यादों को त्यागना ही श्रेयस्कर। स्मृतिपटल हमारा इतना उज्जवल हो, उस पर जो भी लिखा जाये वह हर कोई पढ़ सके, और एक श्रेष्ठ और नवीन कल्पना तैयार की जा सके।

आओ हम सब मिलकर यादों को बनायें
इतना उज्जवल और परिष्कृत
जिससे बने मानव जीवन
श्रेष्ठ और सफल ।।

आओ हम करें एक पहल

आओ हम सब मिलकर एक ऐसा जहां बनायें, जहां हर इंसान की कीमत हो, जहां जीवन को जीवन की तरह देखा जाये, जहां सीखना और सिखाना कभी खत्म न हो, जहां छोटे-बडे का भेदभाव न हो, जहां आत्मीयता कम न हो, जहां भाईचारे की भावना बलीबती बने रहे।

हम अपनी योग्यता और क्षमता का सही उपयोग कर जीवन को श्रेष्ठसे श्रेष्ठआधारस्तंभ प्रदान करते हैं। जब हम अपनी आजीविका और श्रेष्ठजीवन की कल्पना को गढ लेते हैं, पा लेते हैं और उसको जीने लगते हैं तब हमारे पास एक और जरिया होता है जिससे हम श्रेष्ठ जीवन के साथ-साथ, श्रेष्ठ कार्य को कर आत्मिक सुख को पा सके। वह जरिया है, अपनी योग्यता का समीचीन प्रयोग करके मानवहित और जीवहित में कार्य करना। जैसे -

अगर आप वकील है - आपके आस-पास होने वाली छुटपुट घटनाओं को उजागर कर समाज को और देश को शांतिमय वातावरण बनाने में मदद कर सकते हैं। किसी वृद्ध या किसी भी व्यक्ति पर हो रहे अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाकर उसकी मदद कर सकते हैं अथवा लोगों को कानून की सही जानकारी प्रदान कर उनके हितों को साध सकते हैं। आपके नगर या गांव की कोई बडी समस्या है तो उस पर आप जनहित याचिका दायिर कर समाज को श्रेष्ठतम समाधान दे सकते हैं।

अगर आप डॉक्टर है - तो आप अपने आसपास के लोगों विभिन्न के रोगों के उपाय और समाधान बता सकते हैं। कुछ असमर्थ जनों का इलाज नि:शुल्क कर सकते हैं। घर की साफ-सफाई की जानकारी दे सकते हैं, जिससे रोग उत्पन्न न हो। कुछ डॉक्टर की टीम बनाये जो अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय रोगों की रोकथाम के लिये नि:शुल्क कैंप लगाकर लोगों को जागरूक कर सके।

अगर आप शिक्षक है – छात्रों को सही मार्ग दिखाना आपका कर्त्तव्य है, इसका आप पालन कर ही रहे हैं। इसके साथ-साथ निर्धन बच्चों को निःशुल्क या कम से कम मूल्य पर ट्यूशन दे सकते हैं। निर्धन छात्रों के लिये पुस्तकों की व्यवस्था आप अपने पुराने विद्यार्थियों के द्वारा कर सकते हैं। साथ-साथ आसपास के लोगों की मदद से भी ये व्यवस्था की जा सकती है। आप छोटी-सी लाइब्रेरी भी तैयार कर सकते हैं, जिससे छात्रों को चहुँमुखी विकास के लिये योगदान मिल सकता है।

अगर आप सीए है – तो अपने काम के साथ लोगों को इंकम टैक्स की बारीकियों की जानकारी प्रदान करें। लोगों को अपना टैक्स जमा करने के लिये विभिन्न प्रकार की प्रेरणायें प्रदान कर सकते हैं। आप समाज हित में चलने वाले एनजीओ या ट्रस्ट की ऑडिट कम से कम मूल्य में कर सकते हैं। आप मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा और चर्च आदि आस्था के केन्द्रों के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं का ऑडिट निःशुल्क भी कर सकते हैं।

अगर आप इंजीनियर है – आपके आसपास होने वाले निर्माण के प्रति आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि वे किस प्रकार से निर्माण कार्यों की बारीकियों को समझकर हो रहे गलत निर्माण को रोक सकते हैं। लोगों को मकान निर्माण में किस-प्रकार का मटेरियल यूज करना चाहिये, इस बारे में भी कैंप लगाकर समझा सकते हैं। छात्रों को इंजीनियर की पढाई करने में क्या कठिनाई आ रही है? इसका भी समाधान कर सकते हैं।

अगर आप भाषाविद् है – आप छोटे-छोटे कैंप लगाकर उनकी बोली और मातृभाषा की बारिकियों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं, और अपनी मातृभाषा के प्रति गौरव के भाव को उत्पन्न कर सकते हैं। विदेशी भाषाओं को सीखने से कौन-कौन से रोजगार प्राप्त हो सकते हैं? ये भी आप छात्रों को समझा सकते हैं।

अगर आप कम्प्यूटर के जानकार है – तो आप गृहणियों, वृद्धों और निर्धन छात्रों को कम से कम मूल्य पर अथवा निःशुल्क कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। आप आज की टेक्नोलोजी की जानकारी दे सकते हैं। आज हो रही ऑनलाइन व्यवस्था के फायदों की जानकारी भी दे सकते हैं।

अगर आप प्रशासनिक अधिकारी है – तो लोगों के विभिन्न प्रकार के कैंप के माध्यम से विविध जानकारियाँ जैसे– जाति प्रमाण पत्र बनवाना, निवास प्रमाण पत्र बनवाना, राशनकार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस आदि। इसके अलावा यदि कोई शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से वाकिफ नहीं हैं तो उनकों भी विभिन्न माध्यमों से जानकारी प्रदान कर सकते हैं।
अगर आप राजनेता है – तो अच्छी नेतृत्व क्षमता वाले, निष्ठावान्, देशहित में सोचने वाले व्यक्ति के लिये राजनीति में आने के लिये प्रेरित कर सकते हैं, उसको राजनेता बनकर जनता की सेवा करने का जज्बा पैदा कर सकते हैं। जनसामान्य की समस्या को तो आप प्रतिदिन सुनते और समाधान करते ही है। परंतु अच्छे लोगों को भी राजनीति में आने के लिये प्रेरित कर सकते हैं।

हर क्षेत्र में अनेक अवसर है, जिनको खोजकर हम जन सेवा कर सकते हैं। अपना समय और श्रेष्ठ विचार देकर। बस एक पहल की जरूरत है, जो आपको और हमें करना है। आओ हम सब मिलकर एक ऐसा जहां बनायें, जहां हर इंसान की कीमत हो, जहां जीवन को जीवन की तरह देखा जाये, जहां सीखना और सिखाना कभी खत्म न हो, जहां छोटे–बडे का भेदभाव न हो, जहां आत्मीयता कम न हो, जहां भाईचारे की भावना बलीबती बने रहे।

उम्मीद है मुझे मैं किसी को बदल पाऊं या न बदल पाऊं पर अपने में सुधार लाने का प्रयास अवश्य करूंगा।

मैं एक दिन दुनियां सुधारने निकला था,
पर आज सबक सीख लिखा
दुनियां को नहीं, अब
अपने को सुधारना हैं,,,,
क्योंकि उस दुनियां का मैं भी एक हिस्सा हूं।।

केन में लगा दूध

तब माँ ने कहा - गाय भी हम सब की माँ है और उस गौ माता ने हमें और हमारे बच्चों को जीवन देने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान निभाया है, तो क्या? मैं उस गौ माता के उसके एक अंश (दूध के अंश) को भी बेकार जाने दूँ, अर्थात् नहीं।

जीवन के कुछ विषय और पहलु ऐसे हैं, जो हृदय को स्पर्श किये बिना नहीं रहते हैं। प्राय: हमने देखा है कि दूध लेकर आने वाले दूधवाले भैया, किसी केन या बोटल में दूध हमारे घरों में देकर जाते हैं। दूध कितना महत्त्वपूर्ण है? हम सभी से ज्यादा इस बात को भला कौन समझ सकता है? और दूध जिससे प्राप्त होता है वह गाय हमारे जीवन को कितनी प्रफुल्लित रखती है, शायद ही है कोई इस अनुभव से अछूता हो। बहुत दिनों से मन में एक प्रश्न हिलोरे ले रहा था कि जब दूधवाला किसी केन या बोटल में दूध लेकर आता है और उससे वह दूध हम लेकर एक भगोनी (गंजी) या जिसमें दूध रखा जाता है उस बर्तन में जब दूध को छन्नी से छानते हैं फिर उसके बाद उस केन या बोटल में जो दूध लगा हुआ रह जाता है तो उस केन या बोटल में थोड़ा-सा पानी डालकर (खंगालकर) फिर उस पानी को दूध में मिला देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? मैंने प्राय: ऐसा करता हुआ अपने घर में माँ को देखा। जब मैंने इस पर गौर किया तो मैंने अपनी माँ से कहा - माँ ! इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं है। जो केन में दूध लगा है, उसको पानी डालकर (खंगालकर) फिर दूध में मिला देना। ऐसा ठीक नहीं। अगर कम पड़े तो और ले लो, पर ये ठीक नहीं। माँ ने मुस्कुराया और कहा -अभी छोटे हो, बड़े होने पर समझ जाओगे, ऐसा क्यों करते हैं?

आश्चर्य इस बात का होता है कि ऐसा क्यों करते हैं? क्या हमारे घर की मातायें-बहिनें कंजूस है या हम लोगों को पानी मिला दूध पिलाने में उनको आनंद

आता है। एक दिन मैंने फिर पूछा – माँ! ऐसा क्यों करती हो? तब माँ ने कहा – देखो बेटा! मैं तुम्हारी माँ हूँ और जैसे मैंने तुम्हारे लिये जो भोजन बनाया है, वह भोजन तुम थाली में छोड़कर जाने में आनंदित होते हो क्या? मैंने कहा – नहीं माँ! तब उन्होंने कहा – वैसे ही गाय तो हम सभी की माँ है, और उस गौ माता ने हमें और हमारे बच्चों को जीवन देने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान निभाया है, तो क्या? मैं उस गौ माता के उसके एक अंश (दूध के अंश) को भी बेकार जाने दूँ, अर्थात् नहीं। मैं केन या बोटल में इसीलिये पानी डालकर (खंगालकर) दूध में मिला देती हूँ क्योंकि दूध का एक अंश भी इसमें न लगा रह जाये क्योंकि ऐसा होगा, तो हो सकता है दूधवाले भैया, अपनी अधिक व्यस्तताओं के कारण उस केन या बोटल में लगे दूध को न देख पाए और जब साफ करेंगे तो उसमें लगा हुआ दूध नाली में चला जायेगा, जिससे हम दूध का नहीं अपनी माँ का अपमान करेंगे, मैं ऐसा मानती हूँ, बस, इसलिये मैं ऐसा करती हूँ। क्या? वास्तव में! यही सच है!!!!

धन्य है ऐसी भारतीय नारी! उनके हृदय में बैठा हुआ ममता का भाव, जो स्वयं के मातृत्व भाव के साथ-साथ गौ माता के मातृत्व को भी दिग्दर्शित करती है।

जीवन में बदलाव ही सफलता का रहस्य है...

सफल व्यक्ति में कुछ खास आदते होती हैं जैसे - नवीन पद्धतियों और वस्तुओं के अस्तित्व को स्वीकार करना, नवीन-नवीन प्रयोग करना। सफल व्यक्ति वही है जो अपनी सफलता के लिये अपनी विधियों और तरीकों में बदलाव करता रहे, उसे अपना लक्ष्य नहीं बदलना अपितु उसे अपने कार्य करने के ढंग को बदलना पडेगा।

परिस्थितियाँ सदा एक समान नहीं रहती है। परिवर्तन होता ही रहता है। कोई भी सदा जीतता नहीं हैं, और कोई भी सदा हारता नहीं है। बस जीतने वाले का आत्मबल उसके साथ होता है, और वह हारने पर भी अपने को मजबूती से तैयार करके आगे बढ़ता है। हारने वाला हारता ही चला जाता है, अगर उसने अपने मनोबल का ध्यान नहीं रखा। हमें अपने जीवन में परिवर्तन अपने आसपास के वातावरण, शिक्षा के स्तर, होने वाली सामाजिक गतिविधियों एवं वर्तमान की माँग के अनुरूप करना चाहिये। यदि पुराने तरीके से ही जीवन को जीते चले गये, तो आज हम अपनी प्रस्तुति को नगण्ण बना सकते हैं।

चाहत हो गर मंजिल पाने की रास्ते मिल ही जाते हैं,
थकते नहीं कभी जो राहों में, मंजिल भी तो वही पाते हैं।।

सफल व्यक्ति में कुछ खास आदते होती हैं जैसे - नवीन पद्धतियों और वस्तुओं के अस्तित्व को स्वीकार करना, नवीन-नवीन प्रयोग करना। सफल व्यक्ति वही है जो अपनी सफलता के लिये अपनी विधियों और तरीकों में बदलाव करता रहे, उसे अपना लक्ष्य नहीं बदलना अपितु उसे अपने कार्य करने के ढंग को बदलना पडेगा। एक ओर विशेष बात जीवन में स्वीकाराने और अनुशरणीय है, वह है कि जो लोग सफल हुये उनसे परामर्श करे, उनसे जानकारी ले। प्रत्येक कार्य को सकारात्मक बिन्दु के साथ प्रारंभ करें, और सोचे इस कार्य से हमें सफलता मिले न मिले, पर आत्मसंतुष्टि अवश्य मिलें, कि मैंने अपने परिश्रम में

कही कमी नहीं की। एक अमेरीकी नागरिक के जीवन की घटना है, अत्यंत ही प्रेरणीय है और प्रासंगिक है। अत्यंत परिश्रम पूर्वक उसने इंजीनिरिंग की डिग्री हासिल की। उसने नौकरी ढूंढना प्रारंभ कर दिया, और उसके पास अनेक कम्पनियों से नौकरी के ऑफर थे, परंतु वह वही नौकरी करना चाह रहा था, जहाँ उसे कुछ सीखने और नया करने का अवसर मिले। एक कम्पनी में जहाँ उसे लगा, इसमें कुछ नया किया जा सकता है, वहाँ आवेदन किया, परंतु वहाँ मात्र एक टाइपिस्ट की जगह ही खाली थी, परंतु उसने उस नौकरी को स्वीकार कर लिया। उसे उसी दिन से काम पर आने को कहा गया लेकिन वह चार दिन बाद आने की बात कहकर चला गया। चार दिन बाद जब वह काम पर आया तो मैनेजर ने पूछा– आप पहले तो तत्काल काम करने के लिये आतुर थे, फिर चार दिन की देरी क्यों की? उसने कहा – मुझे अच्छी तरह टाइप करना नहीं आता था, इसलिये इन चार दिनों में मैनें टाइपिंग का अच्छा अभ्यास कर लिया। अब मुझे विश्वास है कि मैं यह काम करने में सक्षम हूँ। अपने काम को पूरी तन्मयता और दक्षता से करने की इस आदत ने इस युवक को अमरीका के राष्ट्रपति पद तक पहुँचाया। उनका नाम था – हर्बर्ट क्लार्क हूवर। मात्र इतनी शिक्षा हमें प्राप्त होती है कि जो भी काम हाथ में लें, उसे पूरी तन्मयता से और दक्षता के साथ पूरा करें। कुछ नया सीखना पडे, तो सीखे।

न मिले सफलता तो गम मत करना,
सफलता के लिये अपनी कोशिश कम मत करना,
होगी सफलता तेरे कदमों में इक दिन,
बस असफलता के लिये आँखें नम मत करना।।

कुछ बिन्दु हैं, जो कि हृदय पटल पर यदि अंकित होंगे, तो निश्चित हम अपने जीवन को बदलकर एक नये जीवन की श्रेष्ठ शुरूआत करेंगे।

१. नकारात्मक सोच को मन से हटा दें।

२. मैं इस कार्य को करने में असमर्थ हूँ, मेरे पास अनेक समस्यायें हैं, ऐसे विचार मन से निकाल दें।

३. मैं कार्य कर सकता हूँ, और मैं एक दिन अवश्य सफल हो जाऊंगा, मात्र यही विचार हमारी सफलता का सूत्र होना चाहिये।

४. हम अपनी योग्यता की तुलना दूसरे न करके अपितु अपने परिश्रम और आत्मबल को बढ़ाने का प्रयास करते रहे।

५. पूर्ण परिश्रम के बाबजूद भी सफलता नहीं मिलती है तो फिर उठो, आगे बढो और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढालते हुये और अधिक आत्मबल एवं ऊर्जा के साथ कार्य में जुट जाओ।

६. अपने कार्य के प्रति आधुनिक संसाधनों का प्रयोग, विषय विशेषज्ञों का परामर्श, खोजात्मक ध्येय, एकाग्रता और गिद्ध जैसी नुकीली दृष्टि अत्यंत अनिवार्य है।

७. सदा अपने लक्ष्य को नये-नये दृष्टिकोणों से प्रखर बनाते रहे। जिससे सारा ध्यान लक्ष्य पर बना रहे।

८. बार-बार लक्ष्य न बदलें।

९. कार्य की शुरूआत करना थोड़ा कठिन है, उसे बीच में नहीं छोड़ना थोड़ा ज्यादा कठिन है परंतु लक्ष्य तक पहुँचने तक डटे रहना बहुत ही मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं।

कदम चूम लेती है मँजिल आकर।
अगर मुसाफिर हिम्मत न हारे।।

१०. बस अपने विचार करने के तरीकों को अवश्य बदलते रहे, जो कि हमारी सफलता की नींव को मजबूत करेगी।

बस अन्त में इतना ही कहना श्रेयस्कर होगा -

सदाकत खुद ब खुद करती है, शौहरत जमाने में।
कभी खुशबू भी कहती है, मुझे तुम सूंघकर देखो।।

महापुरुषों का जीवन पढ़कर मन उत्साह से भर जाता है

एक मूँगफली का ठेला लगाने वाला यदि ईमानदारी से अपना कार्य कर रहा है तो सही मायने में वह सच्चा राष्ट्रभक्त है, सही मायने में ऐसा राष्ट्रभक्त ही इस देश का महापुरुष है।

निश्चित ही सद् विचार और सद् आचारण का प्रभाव जीवन को श्रेष्ठ बनाने का महत्त्वपूर्ण उपक्रम है। महापुरुष कोई व्यक्ति, जाति, पंथ या समाज से जुड़ा हुआ नहीं होता है। महापुरुष तो वह जो जीवन में कुछ अलग हटकर कर करता है, जो जनहित और राष्ट्रहित के लिये अपने जीवन से अधिक अन्य के जीवन को महत्त्व देता हो। वह किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी देश का हो सकता है परन्तु उसकी भावनायें जनहित में ही होती है, उसकी संवेदनायें मानवीय मूल्यों के प्रति सजग होती है। उसके हृदय में जन-जन के प्रति समर्पण और त्याग की भावना समाहित होती है।

हम जब भी ऐसे व्यक्तित्व का परिचय पढ़ते हैं सुनते हैं तब लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपने ही तक सीमित है। कभी किसी का हित करना हमारे जीवन के प्रतिदिन के मूल उद्देश्यों में समाहित ही नहीं है। जीवन में सबसे पहले मैं स्वयं तत्पश्चात् अन्य, ऐसे ही भाव को लेकर चल रहा हूँ। फिर भी मन होता है मैं अपने से ऊपर उठकर सबके लिये कुछ करूँ। पर क्या करूँ? जो मिल जाए, वो करें। जिसकी मदद करने मिल जाए उसकी मदद करें।

जो जिस विषय से जुड़ा हो वह उसकी मदद उसी रूप में कर सकता है। शिक्षक निःशुल्क शिक्षा देकर, डॉक्टर निःशुल्क चिकित्सा देकर, श्रेष्ठी दान देकर, सेवक सेवा करके और इन सबसे ऊपर सबसे श्रेष्ठ कार्य अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण रखते हुये जो भी कार्य कर रहे हैं उसी पूर्ण ईमानदारी से करना, बस

यही तो हमारे जीवन में महापुरुषों का प्रभाव है। महापुरुष भी हमसे कोई है। हमारे आसपास अनेक महापुरुष है, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, जो प्रेरणायें दे रहे हैं, जो स्वार्थ से ऊपर उठकर परार्थ के हित में लगे हुये हैं। जैसे कहते सुना होगा – हमारे आसपास आपको राम भी मिल जायेंगे, सीता भी मिल जायेगी और रावण भी मिल जायेगें। यह बात उतनी ही सत्य है, जितनी दृढ़ता के साथ कहीं गयी है।

महानुभाव, हमारे दृष्टिकोण में कुछ अलग हटकर करने का भाव होना चाहिये। जिसके हृदय में ये भाव पलता है वही एक दिन कुछ करके दिखाता है जिससे हमारा राष्ट्र, समाज और जन–जन लाभान्वित होता है। प्रत्येक मानव को प्रयास करना चाहिये कि उसके जीवन में सबके हित की बात हो, दूसरे के व्यक्तित्व पर प्रश्नचिह्न लगाने का निष्प्रयोजन दुर्भाव न हो। उसका जीवन अच्छे लोगों की संगति से प्रारंभ होकर, व्यसनों में व्यतीत कर रहे हैं लोगों के प्रति सदभावना, मैत्री और माध्यस्थता का भाव लेकर चले। आईये हम और आप आगे आकर कुछ नया करने का प्रयास करें, जनहित में और राष्ट्र के प्रति अपने कर्त्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करते हुये परार्थ के लिये कुछ विचार करें। एक मूँगफली का ठेला लगाने वाला यदि ईमानदारी से अपना कार्य कर रहा है तो सही मायने में वह सच्चा राष्ट्रभक्त है, सही मायने में ऐसा राष्ट्रभक्त ही इस देश का महापुरुष है। वे लोग जो अपने कार्य और कर्त्तव्यों में ईमानदारी को न रखते हुये बड़े से बड़े पद पर विराजमान हो, जिनकी तूती चलती हो, जिनसे लोग भयाक्रान्त हो, जिनके पास भीड़ लगी रहती हो, परन्तु वे देश के सम्मान और सम्पत्ति को नुकसान पहुँचा रहे हो, तो वे राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते हैं वे महापुरुष नहीं हो सकते हैं। वे तो इस पृथ्वी पर भारभूत है।

लोकतंत्र का मतलब सबके लिये एक समान - पं. दीनदयाल उपाध्याय

व्यक्ति का अर्थ सिर्फ उसका शरीर नहीं होता है उसका मन, बुद्धि और आत्मा भी है, यदि इन चारों में से किसी एक की भी उपेक्षा की जाए तो व्यक्ति का सुख विकलांक हो जायेगा। उन्होंने कहा - **भारत में रहने वाला और इसके प्रति ममत्व की भावना रखने वाला मानव समूह एक जन है। उनकी जीवन प्रणाली, कला, साहित्य, दर्शन सब भारतीय संस्कृति है, इसलिये भारतीय राष्ट्रवाद का अधार यह संस्कृति है, इस संस्कृति में निष्ठा रहे तभी भारत एकात्म रहेगा।**

भारत देश की अखण्डता और मानवीय एकता के सूत्रपात करने में जहाँ धर्मगुरूओं का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है, वहीं दूसरी ओर महापुरुष भी इससे अछूते नहीं है। ऐसे वे व्यक्ति जिन्होंने तलवार और बंदूक की अपेक्षा लेखन और लेखनी के बल पर राष्ट्र को अखण्ड बनाने के उत्तरदायित्व को पूर्ण जिम्मेदारी से निभाया है, वे भी महापुरुष की कोटि के शोभायमान सितारे हैं। अत्याश्चर्य तो तब होता है जब व्यक्ति से बड़ा समाज और समाज से बड़ा राष्ट्र, ऐसी भावना से समन्वित हुआ व्यक्ति अपनी निजी हितों और स्वार्थों की चिन्ता किये बने अपने आपको राष्ट्र के लिये समर्पित हो जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र और राष्ट्र की सेवा के लिये तत्पर किया एवं सम्पूर्ण जीवन में प्रयास करते रहे कि राष्ट्र अखण्ड हो, लोकतंत्रतात्मक प्रणाली में प्रत्येक मनुष्य को समानता का व्यवहार मिले और प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ्य एवं सम्पन्न हो। ऐसे पं. दीनदयाल उपाध्याय का जीवन राष्ट्र को गौरवशाली बनाने में अनेक आयामों पर महत्त्वपूर्ण एवं प्रेरणीय है।

पं. दीनदयाल उपाध्यायजी का जन्म राजस्थान राज्य के जयपुर जिले

के धानक्या ग्राम में नाना चुन्नीलाल के घर हुआ। पिता भगवतीप्रसाद स्टेशन मास्टर थे और माता रामप्यारी एक धार्मिक वृत्ति की महिला थी। जीवन के मात्र ३ वर्ष की आयु मे हीं पिता की मृत्यु हो गई और ७ वर्ष की उम्र में आपकी माताजी का निधन हो गया। जिस कारण से अनेक कठिनाईयाँ और संघर्षों ने आपके आगे बढ़ने के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। परन्तु आपकी जिजीविषा ने आपको उन्नति के शिखर तक पहुँचाया। पिलानी, आगरा और प्रयाग में रहकर आपने अपना अध्ययन कार्य किया और छात्र-जीवन से ही आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गये थे।

आपके पूरे जीवन का आकलन करने के उपरान्त निश्चित ही विशेषज्ञ भी आश्चर्यचकित होते हैं कि एक ओर जहाँ आप एक अच्छे लेखक है जिन्होंने पांचजन्य, स्वदेश जैसी पत्रिका का सफल संचालन प्रारंभ किया और आज भी अनवरत रूप से चल रही है। एक रात में और एक बैठक में ही आपने सम्राट् चन्द्रगुप्त के जीवन को दिग्दर्शित करने वाला उपन्यास लिख डाला। दो योजनायें, राजनैतिक डायरी, भारतीय अर्थनीति का अवमूल्यन, आदि पुस्तकों का लेखन किया। आपके अनेक लेख दैनिक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे और जनजाग्रति का यह क्रम आपकी लेखनी से चलता रहा। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर राष्ट्रसेवा के लिये अपने जीवन को समर्पित कर राष्ट्र के लोगों को लोकतंत्र का मतलब सबके लिये समान इन विचारों को पहुँचाने में लग दिया।

आपने अपना राजनैतिक जीवन का प्रारंभ किया तो १९ सितम्बर १९५१ में राष्ट्रीय जन संघ की स्थापना की। वे जनसंघ में पहले संगठन मंत्री फिर महामंत्री और फिर अध्यक्ष के पद पर रहे। वे हमेशा लोगों से कहते - **स्वाध्याय करो, पठन-पाठन और चिंतन-मनन के बल से ही मनुष्य ज्ञान को आत्मसात करता है।** उनके इन्हीं श्रेष्ठ विचारों, कार्यक्षमता, परिश्रम और परिपूर्णता के गुणों से प्रभावित होकर डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने कहा था- **यदि मुझे ऐसे दो दीनदयाल मिल जाएं तो मैं देश का राजनीतिक नक्शा बदल दूँगा।** उपाध्यायजी ने लोगों को कई सिद्धान्त और विचार दिये। जिनमें **एकात्म मानववाद** सबसे महत्त्वपूर्ण है। जिसके मायने हैं कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण हो जहाँ

लोकतंत्र के मायने सबके लिये समान हो, जहाँ भारत के विभिन्न राज्यों की विभिन्न संस्कृतियाँ और परम्परायें एक हो, जहाँ मानवीय संवेदनओं को महत्त्व देते हुये सभी धर्मों का समावेश हो, जहाँ व्यक्ति की समानता और स्वतंत्रता हो जो एक सुदृढ़, सम्पन्न एवं जागरूक राष्ट्र कहलाये। पंडितजी का कहना है कि **हमारी सम्पूर्ण व्यवस्था का केन्द्र मानव होना चाहिये।** पंडितजी कहते हैं कि **व्यक्ति का अर्थ सिर्फ उसका शरीर नहीं होता है उसका मन, बुद्धि और आत्मा भी है, यदि इन चारों में से किसी एक की भी उपेक्षा की जाए तो व्यक्ति का सुख विकलांक हो जायेगा।** उन्होंने कहा – **भारत में रहने वाला और इसके प्रति ममत्व की भावना रखने वाला मानव समूह एक जन है। उनकी जीवन प्रणाली, कला, साहित्य, दर्शन सब भारतीय संस्कृति है, इसलिये भारतीय राष्ट्रवाद का अधार यह संस्कृति है, इस संस्कृति में निष्ठा रहे तभी भारत एकात्म रहेगा।**

उनका दृष्टिकोण सबसे भिन्न था। सम्पन्नता होने के बावजूद भी वे प्राय: जब भी ट्रेन से जाते, तो तृतीय श्रेणी के डिब्बे में बैठकर ही यात्रा करते थे, उनका कहना था कि जनसामान्य से मिलना और उनसे चर्चा करना और राष्ट्रहित के लिये कुछ कार्य करना हो तो ट्रेन के तृतीय श्रेणी के डिब्बे से अच्छा स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अनेक धर्म, जाति और व्यवसाय वाले लोग मिलते हैं, जिनसे संवाद आसानी से किया जा सकता है। उनकी सोच का दायरा मानवीय प्रेम और राष्ट्रीय सहिष्णुता से ओतप्रोत बना रहा, जिसके कारण आज भी राष्ट्र में आपके जीवन के परमाणु शेष नहीं है, परन्तु आपका जीवन्त जीवन आज भी लोगों को दिशा निर्देशित कर रहा है, और ऊँचाईयों पर जाने के लिये संघर्षशील परिश्रम की प्रेरणायें दे रहा है। ११ फरवरी १९६८ का वह दिन निश्चित ही कृष्ण दिवस (काला दिन) रहा होगा, जिस दिन आपके पार्थिव शरीर को हम से जुदा होना पड़ा। परन्तु आज भी आपके जीवन के बताये गये मूल्य और शिक्षायें लोगों तक पहुँच रही है, जिससे प्रेरित होकर वे भी राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हो रहे हैं।

भारत के बदलते परिवेश में युवाओं की भूमिका

जहाँ एक ओर भारत चरित्रनिष्ठा और ईमानदारी के पाठ को लेकर निरन्तर आगे बढ़ता रहा है वहीं दूसरी ओर आधुनिक संसाधन एवं प्रोद्यौगिकी संचार का बहुत बड़ा उपक्रम बन चुका है। ऐसे में भारत देश को अपेक्षा अपने देश के नौजवानों से है। राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और प्रतिभाओं का उपयोग राष्ट्र के विकास के लिये करने की अपेक्षा युवाओं से है।

भारत वर्तमान में विश्वपटल पर अपना महत्त्वपूर्ण स्थान एवं हस्तक्षेप रखता है। भारत की छवि विश्व में एक समृद्ध और बुद्धिशाली राष्ट्र के रूप में प्रारंभ से रही है। परन्तु कुछ विसंगतियों के कारण भारत की समृद्धि पर प्रश्नचिह्न लगा दिया गया था अथवा लग गया था, परन्तु आज पुन: वही स्थिति बनती जा रही है एवं बन रही है। भारत की प्रतिभायें सम्पूर्ण विश्व में अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और बौद्धिक कौशल का लोहा मनवा चुकी है और मनवा रही है। भारतीय प्रतिभाओं के प्रति विश्व में आकर्षण है।

भारत देश के विकास में सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान युवावर्ग का है। भारत की लगभग ६५ प्रतिशत जनसंख्या ३५ वर्ष से कम युवाओं की है। सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई **राष्ट्रीय युवा नीति- २०१४ का उद्देश्य - युवाओं की क्षमताओं को पहचानना और उसके अनुसार उन्हें अवसर प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना और इसके माध्यम से विश्वभर में भारत को उसका सही स्थाना दिलाना है।** आज भारत देश विश्व के धरातल पर समाहित सभी के संसाधनों और शक्ति से सम्पन्न है। जहाँ एक ओर भारत चरित्रनिष्ठा और ईमानदारी के पाठ को लेकर निरन्तर आगे बढ़ता रहा है वहीं दूसरी ओर आधुनिक संसाधन एवं प्रोद्यौगिकी संचार का बहुत बड़ा उपक्रम बन चुका है। ऐसे में भारत देश को

अपेक्षा अपने देश के नौजवानों से है। राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और प्रतिभाओं का उपयोग राष्ट्र के विकास के लिये करने की अपेक्षा युवाओं से है।

युवाओं की पहचान - युवा कौन है? हालाकि सामान्य रूप से कथन सब जानते हैं कि १५ से ४० वर्ष के आसपास की उम्र का व्यक्ति युवावर्ग की कोटि में आता है। परन्तु वास्तविकता में युवा कौन है? इसकी पहचान यदि करना हो तो अपने आसपास देखना होगा, वह हर एक व्यक्ति जो दृढ़ता के साथ राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर कार्य रहा है, वह युवा है। फिर भी हम उन युवाओं की बात कर रहे हैं, जो आज इस देश के प्रतिनिधित्व के लिये तैयार हो रहे हैं, जो अपनी विभिन्न क्षमताओं के माध्यम से देश को तरक्की की राह पर लेकर जा रहे हैं एवं जा सकते हैं।

युवाओं की मानसिकता में परिवर्तन - युवाओं की मानसिकता में बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ है। उनकी दृष्टि विकास से हटकर रोजगार की ओर हो गई है। उनकी दृष्टिकोण सर्वप्रथम रोजगारोन्मुखी विद्या की ओर हो गया, जिस कारण से योग्यताओं और क्षमताओं को रोजगार देने वाले विषयों तक बाँध कर रख दिया गया है। हालाकि दोषी वे नहीं है, आज परिस्थितिजन्य ये स्थितियाँ उत्पन्न हुई है। उनकी चहुँमुखी प्रतिभा जहाँ राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती, वे युवा आज अधिक धन कमाने के प्रलोभन में देश को छोड़कर परदेश में अपनी सेवायें दे रहे हैं। वह भी हमारा गौरव है। परन्तु इस बदलते परिवेश में युवाओं को इस देश के लिये बहुत कुछ करना है। आज तलवार नहीं चलानी है, पर आज सूचना प्रोद्यौगिकी का युग है, तो हमारे हाथ तलवार न उठाये परन्तु इस युग में कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हो।

भारत के प्रत्येक नागरिक को कम्प्यूटर की शिक्षा, इंटरनेट की जानकारी, अपने अधिकारों की पहचान, कृषि को श्रेष्ठतम उपजाऊ बनाने के विभिन्न उपाय और राष्ट्र के इतिहास के प्रति श्रद्धा के साथ उसकी जानकारी होना अत्यावश्यक है। इस कार्य में युवाओं की सबसे अहम भूमिका है क्योंकि वे जनजागृति के माध्यम से प्रत्येक भारतीय नागरिक को इस ओर लेकर आ सकते हैं। वे अपने आसपास के लोगों को और वातावरण को भारत देश में आ रहे बदलाव और हो

रही उन्नति की जानकारी देकर जनसाधारण को भी सक्रिय कर सकते हैं।

समाज के प्रति संवेदना- युवाओं के हृदय में मानवीय मूल्यों के साथ-साथ अपने देश-समाज के प्रति संवेदनाओं के पुट का संचार होना चाहिये। जिससे वे स्वयं के हित के साथ-साथ दूसरे के हित का चिंतन भी करें और सहयोग भी करें। जाति-पाति की चर्चा और भेदभाव की नीतियों से स्वयं को दूर रखे और जनसामान्य में संदेश दे सामाजिक समरसता का। युवा ही एक ऐसी क्रान्ति है जो सामाजिक समरसता की बुझी चिंगारी को दावानल बना सकते हैं।

वंचितों के प्रति कर्त्तव्यभाव - देश के प्रति और देश के प्रत्येक नागरिक के प्रति हमारा कर्त्तव्य है कि उसकी सम्पन्नता हो, उसका जीवननिर्वाह सम्यक् तरीके से हो। इसके लिये वे युवावर्ग जो आज अपनी आजीविका से निश्चिंत हो गये हैं, जिनकी आजीविका सुचारू रूप से चल रही है, उनको आगे आकर वंचितों के प्रति अपने कर्त्तव्यभाव को पहचानते हुये उनकी मदद करना चाहिये। आज अनेक युवा सही मार्गदर्शन के अभाव में व्यसनों में पड़ गये हैं और वे जो देश के हित सम्पादन में अपना योगदान करते, वे स्वयं के जीवन को ही श्रेष्ठ नहीं बना पा रहे हैं।

मेरे एक मित्र ने अपनी आजीविका में से कुछ अंश उन छात्रों के लिये देने का उपक्रम किया है, जो अभावग्रस्त है। मेरे एक शिक्षक मित्र ने सर्दी के समय में अभावग्रस्त छात्रों के लिये स्वेटर बाँटी। ऐसे न जाने कितने कार्य है? जिन्हें युवावर्ग करके भारत के परिवेश को और अधिक समृद्ध बना सकता है।

सामाजिक समरसता - समान व्यवहार, जाति, पंथ, व्यक्तिवाद, वंशवाद, सम्प्रदाय आदि विषयों और चर्चाओं का स्थान ही जिनके जीवन में नहीं है, सही मायने में सामजिक समरसता वही प्रकट होती है। जैनदर्शन के महानतम आचार्य अमितगति महाराज कहते हैं -

सत्त्वेषु मैंत्री गुणीषु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम्।
माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव॥

सज्जनों के प्रति मैत्री का भाव, गुणीजनों के प्रति प्रसन्नता का भाव, दु:खी, दीन-दरिद्री के प्रति दया का भाव, विपरीतबुद्धि वालों के प्रति माध्यस्थता का भाव हो। इस प्रकार की श्रेष्ठ भावना का जहाँ समावेश

होता है वहाँ सामाजिक समरसता प्रकट होती है। सामाजिक समरसता में व्यक्ति नहीं उसके गुण और उसके भाव देखे जाते हैं।

आज का हमारा युवा किसी भी प्रकार के व्यामोह में न पड़कर सबके प्रति एक जैसा दृष्टिकोण रखे। अपनी दृष्टि को सकारात्मक रखे, नकारात्मक विचारधाराओं को बाहर निकालकर प्रत्येक मानवीय जीवन को सद्भावना से सिंचित करें। ऊँच-नीच एवं छोटा-बड़ा का भेदभाव समाप्त कर समानता का व्यवहार सभी में करना ही सामाजिक समरसता है। साम्प्रदायिक झगड़े और प्रपंचों से स्वयं को दूर रखे और अन्य लोगों को भी इस विषय को समझाये साम्प्रदायिक भेदभाव से सबका अहित है और प्रत्येक मानव से प्रेम के भाव से सबका हित है।

शिक्षा और शिक्षित व्यक्ति - शिक्षा प्रत्येक मानवीय जीवन का चहुँमुखी विकास करती है। उसके जीवन को सुव्यवस्थित, नीतिबद्ध और समरसता के भाव से जीने की प्रेरणा देती है। शिक्षा का उद्देश्य मात्र व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से है। शिक्षा का उद्देश्य रोजगार से कदापि नहीं है। क्योंकि जहाँ योग्यता और क्षमता होती है, वहाँ रोजगार स्वयं आता है। आज क्या परिस्थिति है? उसकी चर्चा पृथक् है। फिर भी परिस्थिति अनुरूप भी शिक्षा के उद्देश्यों को समझकर कार्य करना आवश्यक है।

जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर लेता है, वह निश्चित ही समाज में सम्मान पाता है और शिक्षा के मूल्यों के माध्यम से आदर्श प्रस्तुत करता है। उसके जीवन में चारित्रिकता दृढ़ता, राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण, भेदभाव रहित दृष्टिकोण, स्व और पर हित का चिंतन, वर्तमान संसाधनों से स्वयं और अन्य को जोड़ने का प्रबल मानस, देश में हो रहे परिवर्तनों की समझ और उसके प्रति तात्कालिक निर्णय लेकर परिपालन की भावना एवं जीवन मूल्यों के प्रति संवदेना आदि अनेक भावों का संचार होता है। इसलिये युवावर्ग को शिक्षा अत्यावश्यक है। वे शिक्षित होकर राष्ट्र के लिये अनेक कार्य कर सकते हैं।

नशा मुक्ति - आज की युवापीढ़ी में न जाने नशा की आदत कैसे फैल रही है? अनेक स्थानों पर युवाओं में नशा करना एक शौक है, तो कहीं कहीं इसको अपना बडप्पन मानते हैं तो कहीं कहीं इसमें अपनी शान समझते हैं। जबकि

ऐसा बिल्कुल नहीं है। नशा जीवन को नष्ट करने वाला धीमा जहर है। जो धीरे-धीरे उस युवा की कार्य क्षमता, प्रतिभा और विकास को खा जाता है। युवाओं को नशा से दूर ही रहना चाहिये। नशा से दूर रहकर ही वे राष्ट्रहित में कार्य कर सकते हैं और देश में हो रहे समसामायिक परिवर्तनों में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे। वरन्, वे अपनी नशे की आदत के कारण जनसामान्य में पीछे रह जायेंगे, उनकी उज्जवल और श्रेष्ठ छवि दूषित हो जायेगी। योग्यता होने पर भी उसको महत्त्व मिलना बंद हो जायेगा। जैसा कि हम अपने आस-पड़ोस के वातावरण में देखते हैं।

शासन को समय-समय पर अपने विचार देना - मेरा व्यक्तिगत मत है कि युवाओं को समय-समय पर विश्व में हो रहे परिवर्तनों के विषय में और भारत में हो रहे परिवर्तनों के विषय में शासन तक अपने विचार पहुँचाना चाहिये। उस विषय हमारी क्या समझ है? और इस परिवर्तन से राष्ट्र को क्या हानि हो सकती है? और क्या लाभ हो सकता है? आज का युवा तीव्रगति से वस्तुओं को जानने की समझ रखता है, उसकी दृष्टि हो परिवर्तनों को तत्काल से भाँप लेती है। **मौन रहना देश का अहित है।** इसलिये मौन नहीं रहना है। हो सकता है कि हमारे विचारों को कोई पसंद न करें, उपयोगी न समझे परन्तु राष्ट्र हित में हमने सोचा है, यही हमारे लिये पर्याप्त है। हो सकता है हम जिन विचारों मृत समझ रहे हो, वे ही विचार राष्ट्रनिर्माण में सहयोगी बने। बस हम अपना कर्त्तव्य करते चले, शेष कार्य नियति पर छोड़ दे। अतः सभी युवाओं से अपील है, आप जहाँ भी जैसे भी कुछ परिवर्तन राष्ट्र में होते देखते हो, तो निश्चित ही शासन तक अपनी बात पहुँचाना चाहिये। जिससे हम भारत के निर्माण में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सके।

मतदाता की जागरूकता ही राष्ट्र का विकास है

भारत प्रजातांत्रिक देश है। यह प्रत्येक नागरिक शासन और सरकार है। भारत की सभी प्रकार की शक्ति जनता में निहित है और जनता के लिये हैं। जनता अपना प्रतिनिधि मत अर्थात् वोट का प्रयोग करके चुनती है और देश निर्माण और नागरिकों के हित में निर्णय लेने के लिये उस प्रतिनिधि को अपना योगदान देना होता है।

हमारा जन्म भारत देश में हुआ है, हम इस देश के जन्म से ही नागरिक है। भारत देश मातृत्व शक्ति का असीम भण्डार है, तभी तो इस भारत राष्ट्र को माता का गौरव प्राप्त है। भारत की धरा पवित्र और ऊर्जावान् है, यह सम्पूर्ण विश्व में सुगंध विखेर रहा है। भारतीय नागरिक होने के उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुये हमारा प्रथम कर्त्तव्य राष्ट्र के गौरव और उसके विकास के लिये बनता है।

भारत प्रजातांत्रिक देश है। यह प्रत्येक नागरिक शासन और सरकार है। भारत की सभी प्रकार की शक्ति जनता में निहित है और जनता के लिये हैं। जनता अपना प्रतिनिधि मत अर्थात् वोट का प्रयोग करके चुनती है और देश निर्माण और नागरिकों के हित में निर्णय लेने के लिये उस प्रतिनिधि को अपना योगदान देना होता है।

भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व में भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान को लेकर कम होते रुझान को देखते हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाने लगा था। इसके मनाए जाने के पीछे निर्वाचन आयोग का उद्देश्य था कि देश भर के सभी मतदान केंद्र वाले क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष उन सभी पात्र मतदाताओं की पहचान की जाएगी, जिनकी उम्र एक जनवरी को 18 वर्ष हो चुकी होगी। इस सिलसिले में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जायेंगे और उन्हें

निर्वाचन फोटो पहचान पत्र सौंपे जायेंगे। पहचान पत्र बांटने का काम सामाजिक, शैक्षणिक व गैर–राजनीतिक व्यक्ति करेंगे। इस मौके पर मतदाताओं को एक बैच भी दिया जाएगा, जिसमें भारतीय निर्वाचन आयोग के लोगो के साथ नारा अंकित होगा **मतदाता बनने पर गर्व है, मतदान को तैयार हैं।**

भारत निर्वाचन आयोग पूरे देश में इस बार **८वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस** 25 जनवरी को बड़े उत्साह के साथ मना रहा है। भारतीय संविधान के लागू होने के ठीक एक दिन पहले वर्ष 1950 से स्थापित चुनाव आयोग के 61वें स्थापना वर्ष पर 25 जनवरी 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने **'राष्ट्रीय मतदाता दिवस'** का शुभारंभ किया था। इस आयोजन के दो प्रमुख विषय थे, 'समावेशी और गुणात्मक भागीदारी' तथा 'कोई मतदाता पीछे न छूटे' ।

भारत का प्रत्येक नागरिक मतदाता है, परन्तु मतदान करने की पात्रता के लिये अठारह वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। पहले मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, परन्तु 1988 से 18 वर्ष कर दी गई।

भारत की 50 प्रतिशत की जनसंख्या 35 वर्ष की आयु वालों की है और इसका एक बड़ा भाग 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा है। ऐसे में उन्हें जागरूक करना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का भाग बनाना महत्त्वपूर्ण विषय है। जिससे वे राष्ट्र के प्रति अपने कर्त्तव्यों और दायित्व का जान सके, सीख सके और अनुभव कर सके।

भारतीय निर्वाचन आयोग की यह महत्त्वपूर्ण पहल भारत के प्रत्येक मतदाता को जागरूक करने का श्रेष्ठ उपक्रम है। इस उपक्रम के माध्यम से बूथ लेवल ऑफीसर अपने वार्ड और भाग संख्या के लोगों को पूर्व में ही सूचना देते हैं, उनको मतदाता होने के गर्व का अहसास कराते हैं, जो 18 वर्ष के हुये हैं, उनके मतदाता कार्ड बनवाते हैं एवं जिन बन चुके हैं उन लोगों ससम्मान कार्ड प्रदान करते हैं, एवं मतदान करने के प्रति जागरूक करते हैं।

प्रत्येक मतदाता राष्ट्रहित में मतदान करें, इसी उद्देश्य से आयोग यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है। आज मुझे भी सुअवसर मिला कि मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनूँ, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बेगमगंज में आयोजित राष्ट्रीय मतदाता

दिवस के समारोह में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफीसर, बूथ लेवल ऑफीसर एवं मतदाता के मध्य शपथ लेकर राष्ट्र निर्माण अपना योगदान देने का संकल्प किया। बैच लगाये और मतदाता कार्ड का भी वितरण किया गया।

निर्वाचन आयोग की यह एक महत्त्वपूर्ण पहल है, स्वागतयोग्य एवं उत्साह से उत्सव के रूप में मनाने का उपक्रम है। आयोग का यह आठवाँ प्रयास है, जो कि निरन्तर प्रगति पथ पर है, मुझे उम्मीद है कि आयोग के इस प्रयास से मतदाता की संख्या में वृद्धि हुई होगी और मतदान के प्रतिशत में भी वृद्धि हुयी होगी। आयोग इसी प्रकार से लोकतांत्रित प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के लिये सार्थक कदम उठाते रहे और मतदाता जागरूक होकर राष्ट्र विकास में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान देते रहे।

राष्ट्र निर्माण की भूमिका में अग्रणीय कदम महिला सशक्तिकरण

आज महिलाओं के पास अपने आपको आगे ले जाने के लिये अनेक अवसर प्रकाशित हो रहे हैं। इतनी बात तो पक्की है, आज भी ऐसे स्थान, ऐसे लोग और ऐसे परिवार है, जिनमें महिलाओं का दायरा सीमित है। वे परिवार और व्यक्ति तक ही सीमित है। परन्तु मुझे उम्मीद है आने वाले समय में वे निश्चित ही इस दायरे के बन्धनों का निर्वहन करती हुई अपने आपको राष्ट्रनिर्माण में अग्रणी बनाये रखेंगी।

निश्चित ही नारी-गौरव भारतीय संस्कृति का उन्नति का प्रतीक है। जहाँ स्त्री का सम्मान और आदर होता है, वहाँ देवों का वास होता है, ऐसी उक्ति चरितार्थ है। एक स्त्री का जीवन अनेक संबंधों के आधारस्तंभों को मजबूती प्रदान करता है, चाहे वह सम्बन्ध बेटी का हो, पत्नी का हो या फिर माँ का हो या फिर अन्य कोई हो। प्रत्येक सम्बन्ध में स्थिरता, उन्नति और सम्पूर्णता स्त्री के होने से ही होती है। स्त्री में असीम शक्ति होती है और जीवन के संचालन में उसका अद्वितीय योगदान होता है। अभाव हो या सद्‌भाव हो, दोनों में उसका दृष्टिकोण सम्बन्धों के प्रति समान का रहता है।

आज वर्तमान में अनेक सरकारी संस्थानों में और प्राइवेट संस्थानों में महिलाओं के योगदान का लोहा माना जाने लगा है, उनके निर्णय और उनकी कार्यक्षमता चौंका देने वाली है। जहाँ वे एक ओर घर का संचालन बड़ी जिम्मेदारी से करती है, वहीं दूसरी ओर अपनी नौकरी या व्यवसाय के कार्य को लग्न और कर्त्तव्यनिष्ठा से करती है। आज महिलाओं के पास अपने आपको आगे ले जाने के लिये अनेक अवसर प्रकाशित हो रहे हैं। इतनी बात तो पक्की है, आज भी ऐसे स्थान, ऐसे लोग और ऐसे परिवार है, जिनमें महिलाओं का दायरा सीमित है। वे परिवार और व्यक्ति तक ही सीमित है। परन्तु मुझे उम्मीद है आने वाले समय में

वे निश्चित ही इस दायरे के बन्धनों का निर्वहन करती हुई अपने आपको राष्ट्रनिर्माण में अग्रणी बनाये रखेंगी।

इन दिनों केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें महिला के हित में भी अनेक योजनायें संचालित कर रही हैं, चाहे वे योजनायें उनके मातृत्व को लेकर हो, या बेटियों की शिक्षा को लेकर हो या फिर उनकी नौकरी या व्यवसाय को लेकर हो। आज अनेक प्रौद्योगिकी संस्थानों को महिलायें संचालित कर रही है, शैक्षणिक संस्थानों को महिलायें संचालित कर रही है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री जैसे पदों के उत्तरदायित्वों को बड़ी गम्भीरता से निभा रही है, उनके निर्णय देशहित और जनहित में हो रहे हैं। ऐसे में महिलाओं को दृढ़तम बनाने के लिये केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रयास सराहनीय है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दशकों से लटके महिला आरक्षण बिल को पारित करने हेतु अपने प्रयास प्रारम्भ किये हैं, जो कि गौरव के विषय है। इस बिल के पास होने से विधानसभाओं में महिलाओं के लिये ३३ फीसदी आरक्षण की व्यवस्था लागू हो जायेगी। केन्द्र सरकार सक्रिय कदम ने गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना, मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक जैसे मुसीबत बने मुद्दे को अंजाम तक पहुँचाना आदि। अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले म.प्र. के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने महिलाओं के शिक्षक बनने के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण की बात कही है।

महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि रोजगार की संख्या में बढ़ोत्तरी हो, शिक्षा का उन्मुखीकरण केवल रोजगार के लिये न हो, रोजगार के साथ-साथ नैतिक गुणों का प्रवेश होना भी जरूरी हो। अनेक ऐसे मामले सामने आते हैं जहाँ कुछेक स्त्रियाँ उनकी सुरक्षा के लिये बने कानून का दुरूपयोग करने लगती है। इस बात पर भी महिलाओं को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि महिलायें कानून का सार्थक उपयोग करती है और उनका सहयोग प्रशासन और आम जनता देती है तो निश्चित ही हमारे देश से महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध जैसे - घरेलु हिंसा, छेड़छाड़, अश्लील हरकतें, बलात्कार, नौकरी या व्यवसाय के दौरान उनका शोषण आदि इनका भी समाधान हो सकेगा।

महिला सशक्तिकरण के लिये आवश्यक है, कि महिलायें भी इसके लिये सार्थक प्रयास करती रहे। वे अपने व्यक्तित्व को विकसित करें और सामाजिक कार्यों के माध्यम से जन चेतना को जगाये। और प्रयास करें कि कोई भी महिला शिक्षा से वंचित न रहे। ये प्रयास तो महिलाओं को भी करना पड़ेंगे। शिक्षा ही सशक्तिकरण का सबसे श्रेष्ठ माध्यम है। ध्यान रखना चाहिये कि शिक्षा के साथ-साथ संस्कार का भी बीजाङ्कुरण अत्यावश्यक है। संस्कार के बिना शिक्षा धन तो दिला सकती है, परन्तु सुख और आनन्द नहीं। अत: बेटियों को शिक्षा के साथ-साथ संस्कार का पाठ भी जरूर पढ़ाये।

प्रशासन और शासन के द्वारा उठाये जा रहे महिला सशक्तिकरण के कदम सराहनीय है। परन्तु ये कदम पर्याप्त और पूर्ण नहीं है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है जो होना है। मानवीय मूल्यों की धरोहर है महिलाओं का सम्मान और उनका आदर। इसलिये महिलाओं के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार और अनैतिक आचारण के विरुद्ध विश्वस्तर पर इसके समाधान के लिये त्वरित प्रयास किये जाना चाहिये। जिससे उनको सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण से मुक्ति मिल सके और स्वच्छ वातावरण की स्वतंत्र अभिव्यक्ति में पुरुष की भाँति भयमुक्त माहौल में जी सके।

जब महिलाओं की स्वतंत्रता और उनके निर्णय स्वयं के होने लगेंगे तब पूर्णतया आयेगा महिला सशक्तिकरण। भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार, पुरुषों की भाँति ही महिलाओं को प्रत्येक कार्यक्षेत्र में कार्य करने का अधिकार है। महिला एवं बाल विकास के नाम से विभाग एवं मंत्रालय भी संचालित है, जो कि अच्छे कार्य कर रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये हम सब प्रयास करें और वे महिलायें भी विशेष रूप से प्रयास करें, जो अनेक पदों पर हैं, उच्च व्यवसाय में हैं, साधन सम्पन्न हैं। जिससे महिलाओं को सुरक्षा, संरक्षण और कार्यक्षेत्र में आने के अनेक अवसर निरन्तर मिलते रहे।

राष्ट्र की अखंडता में संविधान सजग प्रहरी

भारतीय संविधान में निहित नियमों, अधिकारों और राष्ट्र के प्रति कर्त्तव्यों का पालन करना है, जातिवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद और समाजवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में विचार करना है। राष्ट्र सबसे महत्त्वपूर्ण है; इसका चिन्तन और क्रियान्वयन होना आवश्यक है। हम अपने निहित कर्त्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा के साथ करेंगे तो निश्चित ही यह हमारी राष्ट्रभक्ति राष्ट्रशक्ति बनेगी।

भारत देश सदा से नियमों और आचरण की पद्धति पर चलने वाला देश रहा है। प्राचीन काल में भी लोग राजाओं द्वारा बताये गये और निर्धारित किये नियमों और अनुशासन का पालन करते थे और आज भी भारतीय संविधान के नियमों का पालन करते हैं और अनुशरण करते हैं। भारतीय संविधान राष्ट्र का आधार है। अत्यंत सूझबूझ और विविध आयामों को दृष्टिगत करते हुये राष्ट्र के, मानवीय मूल्यों के, कहे तो सम्पूर्ण जीवजाति के लिये दृष्टि में रखते हुये संविधान का निर्माण किया गया है। भारत का संविधान सन् 1950 को भारत सरकार अधिनियम (एक्ट) (1935) को हटाकर लागू किया गया था। और गणतन्त्र दिवस के रूप में, जो प्रति वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवम्बर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1950 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई एन सी) ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। यह भारत के तीन राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है, अन्य दो स्वतंत्रता

दिवस और गांधी जयंती हैं।

सन् 1929 के दिसंबर में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ जिसमें प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा की गई कि यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को स्वायत्तयोपनिवेश (डोमीनियन) का पद नहीं प्रदान करेगी, जिसके तहत भारत ब्रिटिश साम्राज्य में ही स्वशासित एकाई बन जाता, तो भारत अपने को पूर्णत: स्वतंत्र घोषित कर देगा। 26 जनवरी 1930 तक जब अंग्रेज सरकार ने कुछ नहीं किया तब कांग्रेस ने उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की और अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ किया। उस दिन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के वास्तविक दिन 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। भारत के आज़ाद हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसम्बर 1946 से आरम्भ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। डॉ भीमराव आंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉ राजेन्द्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियाँ थी जिसमें प्रारूप समिति (ड्राफ्टींग कमेटी) सबसे प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण समिति थी और इस समिति का कार्य संपूर्ण 'संविधान लिखना' या 'निर्माण करना' था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष विधिवेत्ता डॉ भीमराव आंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने और उसमें विशेष रूप से डॉ. आंबेडकर जी ने 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को 26 नवम्बर 1949 को भारत का संविधान प्रस्तुत किया, इसलिए 26 नवम्बर दिवस को भारत में संविधान दिवस के रूप में प्रति वर्ष मनाया जाता है। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय कुल 114 दिन बैठक की। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतन्त्रता थी। अनेक सुधारों और बदलावों के बाद सभा के 38 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950को संविधान की दो हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किये। इसके दो दिन बाद संविधान 26 जनवरी

को यह देश भर में लागू हो गया। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए इसी दिन संविधान निर्मात्री सभा (कांस्टीट्यूएंट असेंबली) द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई।

26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया जाता हैं और इसके बाद सामूहिक रूप में खड़े होकर राष्ट्रगान गाया जाता है। गणतंत्र दिवस को पूरे देश में विशेष रूप से भारत की राजधानी दिल्ली में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर के महत्व को चिह्नित करने के लिए हर साल एक भव्य परेड इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन (राष्ट्रपति के निवास) तक राजपथ पर राजधानी, नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इस भव्य परेड में भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट, वायुसेना, नौसेना आदि सभी भाग लेते हैं। इस समारोह में भाग लेने के लिए देश के सभी हिस्सों से राष्ट्रीय कडेट कोर व विभिन्न विद्यालयों से बच्चे आते हैं, समारोह में भाग लेना एक सम्मान की बात होती है। परेड प्रारंभ करते हुए प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति (सैनिकों के लिए एक स्मारक) जो राजपथ के एक छोर पर इंडिया गेट पर स्थित है पर पुष्प माला डालते हैं। इसके बाद शहीद सैनिकों की स्मृति में दो मिनट मौन रखा जाता है। यह देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़े युद्ध व स्वतंत्रता आंदोलन में देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के बलिदान का एक स्मारक है।

परेड में विभिन्न राज्यों की प्रदर्शनी भी होती हैं, प्रदर्शनी में हर राज्य के लोगों की विशेषता, उनके लोक गीत व कला का दृश्यचित्र प्रस्तुत किया जाता है। हर प्रदर्शिनी भारत की विविधता व सांस्कृतिक समृद्धि प्रदर्शित करती है।

भारतीय संविधान में निहित नियमों, अधिकारों और राष्ट्र के प्रति कर्त्तव्यों का पालन करना है, जातिवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद और समाजवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में विचार करना है। राष्ट्र सबसे महत्त्वपूर्ण है। इसका चिन्तन और क्रियान्वयन होना आवश्यक है। हम अपने निहित कर्त्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा के साथ करेंगे तो निश्चित ही यह हमारी राष्ट्रभक्ति राष्ट्रशक्ति बनेगी।

संविधान में निहित अधिकार और कर्त्तव्य मानवीय संवेदनाओं से जोड़ते हैं, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के परिचायक है। भारतीय संविधान प्रत्येक मानव

को बराबर का मानकर जातिगत, धर्मगत एवं व्यक्तिगत भेदभाव से मुक्त रखने की बात कहता है। प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धार्मिक आस्था की स्वतंत्रता है, राष्ट्र के सभी संसाधनों को बराबर से प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। भारत के संविधान ने देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे राष्ट्रपति के लिये भी भारत का प्रथम नागरिक होने की संज्ञा दी है, जिसके मायने है, वह देश का राजा नहीं है, वह भी वैसा ही नागरिक है जैसे अन्य। सिर्फ अन्तर इतना है कि वह राष्ट्रहितों में निर्णय लेने के लिये मनोनीत होकर आया है और उसको जनता का संबल बनाया गया है।

भारत ने राजतंत्र को समाप्त कर लोकतंत्र/प्रजातंत्र को स्थापित किया है, जिससे प्रत्येक नागरिक नेतृत्व करने के उपक्रम से सीधे तौर से जुड़ सकता है। अतः महानुभाव, हम सभी राष्ट्र को प्राथमिकता देवें, उसके संविधान के नियमों का पालन करें और मजबूत और अखंड राष्ट्र को बनाये रखने के लिये सदा सजग बने रहे और दृढ़तम प्रयास करते रहे।

भारत देश की पूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन के जनक लाला राजपतराय

उनका कहना था - सब एक हो जाओ, अपना कर्त्तव्य जानो, अपने धर्म को पहचानो, तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म तुम्हारा राष्ट्र है। राष्ट्र की मुक्ति के लिये देश के उत्थान के लिये कमर कस लो, इसी में तुम्हारी भलाई है और इसी से समाज का उपकार हो सकता है।

भारत की देश की अखण्डता के लिये आचार्य चाणक्य ने अनेक प्रयास किये थे और वे सफल भी हुये थे। उन्होंने न्याय, नीति और राजनीति का अवलम्बन लेकर अपने अखण्ड भारत के सपने को पूर्ण करने का आंदोलन प्रारंभ किया था और चन्द्रगुप्त मौर्य जैसे व्यक्तित्व को सम्राट् बनाकर देश का अखण्ड बनाने का उपक्रम साधा था। भारत सूरवीर, सूझबूझ वीर और मनोबल वीर धारियों की भूमि है। इस भूमि पर निरंतर ऐसे-ऐसे वीर पैदा हुये हैं जिन्होंने समय की व्यवस्था के अनुरूप तलवार भी चलाई है और कलम भी चलाई है। ऐसे ही एक वीर योद्धा महापुरुष लाला राजपतराय, जिन्होंने अपने सम्पूर्ण जीवनकाल में तलवार और कलम का भरपूर उपयोग कर राष्ट्र को स्वाधीन कराने के दृढ़तम प्रयास किये हैं।

लाला राजपतराय का जन्म 28 जनवरी 1865 ई. को अपने ननिहाल के ग्राम ढूढि के जिला फरीदकोट पंजाब में हुआ था। इनके पिता श्री राधाकृष्ण अग्रवाल वैश्य थे। उनकी आस्था का केन्द्र जहाँ एक ओर वेद थे वहीं दूसरी ओर इस्लाम की इबारतें। लालाजी के आर्यसमाज से जुड़ने पर उन्होंने प्रसन्नता भी व्यक्त की और उनको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन भी दिया। लालाजी की शिक्षा और दीक्षा कलकत्ता और लाहौर में सम्पन्न हुई। उन्होंने वकालत करके अपने ही गाँव में अभ्यास करना आरंभ कर दिया, परन्तु वहाँ पर उनकी वकालत को बहुत

अधिक महत्त्व और उपयोगिता न मिलने पर वे रोहतक आकर वकालत करने लगे। वे आर्यसमाज के विचारों और सिद्धान्तों से बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्होंने पंजाब में आर्य समाज के विचारों को जन-जन तक पहुँचाया और स्वामी दयानंद की मृत्यु के पश्चात् वे डीएवी कॉलेज लाहौर की स्थापना के आधार स्तम्भ बने। वे अपने जीवन में सबसे अधिक प्रभावित इटली के क्रान्तिकारी ज्यूसेपे मेत्सिनी से हुये। वे उनको अपना आदर्श मानते थे। उन्होंने उनकी पूरी जीवनी पढ़ी और भारत को स्वतंत्र कराने के उनके दृष्टिकोण को एक नयी दिशा और दशा मिली। वे अपने वकालत के समय से ही कांग्रेस से जुड़ गये थे। लालाजी ने देशभर में **स्वदेशी वस्तुयें को अपनाने के लिये अभियान** चलाया। 1907 के सूरत के प्रसिद्ध कांग्रेस अधिवेशन में लाला राजपतराय ने अपने सहयोगियों के द्वारा राजनीति में **गरम दल की विचारधारा** का सूत्रपात कर दिया था और जनता को यह विश्वास दिलाने में सफल हो गये थे कि वे केवल प्रस्ताव पास करने और गिड़गिड़ाने से स्वतंत्रता दिलाने के लिये सम्मिलित नहीं हुये हैं। उनका कहना था - **सब एक हो जाओ, अपना कर्त्तव्य जानो, अपने धर्म को पहचानो, तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म तुम्हारा राष्ट्र है। राष्ट्र की मुक्ति के लिये देश के उत्थान के लिये कमर कस लो, इसी में तुम्हारी भलाई है और इसी से समाज का उपकार हो सकता है।**

प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान वे एक प्रतिनिधि मण्डल के साथ इंग्लैंड गये थे और देश की आजादी के लिये प्रबल जनमत जागृत किया। वहाँ से वे जापन होते हुये अमरीका चले गये और स्वाधीनता-प्रेमी अमरीकावासियों के समक्ष भारत की स्वाधीनता का पक्ष प्रबलता से प्रस्तुत किया। यहाँ **इण्डियन होमरूल लीग** की स्थापना भी की और कुछ ग्रन्थ भी लिखे। 1920 में ही उन्होंने पंजाब में **असहयोग आन्दोलन** का नेतृत्व किया, जिसके कारण 1921 में आपको जेल हुई। इसके बाद लालाजी ने **लोक सेवक संघ** की स्थापना की। उनके नेतृत्व में यह आंदोलन पंजाब में जंगल की आग की तरह फैल गया और जल्द ही वे **पंजाब का शेर** या **पंजाब केसरी** जैसे नामों से पुकारे जाने लगे। सन् 1912 में लालाजी ने एक **अछूत कान्फ्रेन्स** आयोजित की थी, जिसका उद्देश्य हरिजनों के उद्धार के लिये ठोस कार्य करना था।

लालाजी ओजस्वी वक्ता एवं प्रभावशाली लेखक थे। लालाजी ने **भगवान श्रीकृष्ण, अशोक, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, गुरुदत्त, मेत्सिनी और गैरीबाल्डी की संक्षिप्त जीवनियाँ** भी लिखी। **नेशनल एजुकेशनल, अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्डेशन** उनकी अन्य महत्त्वपूर्ण रचनायें है। उन्होंने **पंजाबी, वंदे मातरम् (उर्दू) और द पीपुल इन तीन समाचार पत्रों** की स्थापना करके इनके माध्यम से देश में स्वराज का प्रचार किया।

लाला राजपतराय, बालगंगाधर तिलक और विपिनचन्द्र पाल को **लाल-बाल-पाल** के नाम से जाना जाता है। इन तीनों नेताओं ने **सबसे पहले भारत की पूर्ण स्वतंत्रता** की माँग उठाई थी।

3 फरवरी 1928 को **साइमन कमीशन** भारत पहुँचा। जिसके विरोध में पूरे देश में आग भड़क उठी। लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को एक बड़ी घटना घटी, जब लालाजी के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे युवाओं को बेरहमी से पीटा गया। पुलिस ने लालाजी की छाती पर निर्ममता से लाठियाँ बरसाई। बे बुरी तरह घायल हो गये और उस समय अपने अंतिम भाषण में उन्होंने कहा - **मेरे शरीर पर पड़ी एक-एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी।**

ठीक 17 दिन बाद 17 नवम्बर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से जन आंदोलन भड़क गया, देश का प्रत्येक नागरिक आक्रोशित हो उठा, जिसमें चन्द्रशेखर आजाद, भगतसिंह, राजगुरु सुखदेव व अन्य क्रान्तिकारियों ने लालाजी की मौत का बदला लेने का निर्णय लिया और ब्रिटिश अफसर सांडर्स को गोली से उड़ा दिया। लालाजी की मौत के बदले सांडर्स की हत्या के मामले में ही राजगुरु, सुखदेव और भगतसिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी।

लालाजी का सम्पूर्ण जीवन राष्ट्र के लिये समर्पित रहा। उन्होंने अपने जीवन में सुख-सुविधाओं को महत्त्व न देकर देश की स्वतंत्रता को महत्त्व दिया। वे अपने जीवन काल में लोगों को राष्ट्र के लिये समर्पित होने के लिये गर्मजोशी से भाषण देते और उतने ही निर्भीक होकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लिखते थे। उनके लेखन का इतना अधिक प्रभाव ब्रिटिश सरकार पर हुआ कि उनके द्वारा

लिखी पुस्तक **तरुण भारत** जो कि देशप्रेम और नवजागृति से परिपूर्ण थी, प्रतिबंधित करा दी गई। लालाजी सदा कहते थे – **मैंने जो रास्ता चुना है, वह गलत नहीं है, सफलता एक दिन निश्चित है।** उनका यह कथन शब्दश: एक दिन सफल हुआ। लाल-बाल-पाल द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता के लिये चलाये गये आंदोलन को सफलता मिली। परन्तु इस सफलता न जाने लालाजी जैसे कितने देश के सपूतों का जीवन स्मृतियों में शेष बना दिया।

आज भी उनकी स्मृति और उनका जीवन युवाओं को प्रेरित करता है, राष्ट्र को ऊर्जा के संचार से भरता है। उनके पूर्ण स्वतंत्रता के स्वप्न को हम साकार करें। राष्ट्र को भ्रष्टाचार, बेईमानी और अनैतिकता से बचाकर निष्ठा और ईमानदारी के पथ पर अग्रसर करें, बस यही सदभावना लालाजी जैसे महापुरुष की जयंती पर भा रहा हूँ।

संस्कृति और भाषा का सम्बन्ध

संदर्भ - राष्ट्रीय संगोष्ठी- भाषा, समाज और संस्कृति
(राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् नईदिल्ली)
21-22 **मार्च** 2018

भाषा संस्कृति का वाहन है और उसका अंग भी। वास्तविकता में भाषा ही संस्कृति है। भाषा विचार, भावनायें, निरन्तर चली आ रही जीवनपद्धति को समाहित किये हुये हैं। मातृभाषा किसी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र या संस्कृति की पहचान होती है।

अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। भाषा विचारों के आदान-प्रदान और तादात्म्यसम्बन्ध का सबसे महत्त्वपूर्ण आयाम है। भाषा, संस्कृति को दिग्दर्शित करने वाला सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। संस्कृति का दिग्दर्शन विचारों और आचरण दोनों रूप में होता है। विचारों के अनुरूप ही आचरण होता है और विचार अपनी संस्कृति के अनुरूप होते हैं। इसलिये संस्कृति और भाषा का तादात्म्य सम्बन्ध कहा गया है। संस्कृति को बताने वाली भाषा है, संस्कृति की परिचायिका भाषा है। सतत् चलने वाली प्रक्रिया संस्कृति है। श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति, ये दोनों संस्कृतियाँ अपनी भाषाओं के बल पर आज जीवित है। इनकी भाषा की समझ और जानकारी आज भी लोगों को है, इसलिये ये दो संस्कृतियाँ आज वृद्धि को प्राप्त है। पाणिनी कहते हैं -

आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान् मनोयुङ्क्ते विवक्षया।
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्।।

आत्मा बुद्धि के द्वारा अर्थों को समझकर मन को बोलने की इच्छा से प्रेरित करती है। मन शरीर की अग्नि शक्ति पर जोर डालती है और वह शक्ति वायु को प्रेरित करती है, जिससे शब्दवाक् की उत्पत्ति होती है।

अच्छा आचरण, समाज, देश और जन हित में जो कुछ कार्य किया जाता है, किया गया है, किया गया होगा या कर चुके हैं उसकी जानकारी उसके अनुयायी सीखते हैं समझते हैं परन्तु भाषा की समझ नहीं होगी, तो अनुयायी केवल आचरण से उतना ही समझ पायेंगे, जितना देखा और अनुभव किया है। यदि वह भाषा की भी समझ रखता है तो सही सिद्धान्त और नियमों को समझेगा। **भाषा मानव-मस्तिष्क की वह शस्त्रशाला है जिसमें अतीत की सफलताओं के जयस्मारक और भावी सफलताओं के लिये अस्त्र-शस्त्र, एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह साथ-साथ रहते हैं।**

मानवीय विकास के दो उपक्रम है- भाषा और संस्कृति। भाषा के अन्तर्गत - विचार, अभिव्यक्ति, बोलने की शैली, लोगों को सही गलत का अनुभव कराने की क्षमता आदि।

संस्कृति के अन्तर्गत - जीवन पद्धति, बताये गये नियमों के अनुसार चलकर प्रसन्नचित्त जीवन का आधार, संस्कार, देश, समाज और जनता के प्रति सर्मपण की भावनाओं की प्रेरणा आदि।

इन दोनों के कार्य अलग-अलग है, परन्तु प्रारम्भ और अन्त इनका एक ही है। इनका प्रारंभ एक साथ होता है और इनकी चलने वाली सतत प्रक्रिया भी एक साथ है।

संस्कृति - संस्कृति का मतलब है - मन और आत्मा की विशालता और व्यापकता। इसका मतलब दिमाग को तंग रखना या आदमी या मुल्क की भावना को सीमित करना कभी नहीं होता। संस्कृति किसी भी समाज में अपने व्याप्त गुणों के आधार पर परिलक्षित होती है, जैसे - उस समाज के जीवनयापन का ढंग, कार्यशैली, खान-पीन, आचार-विचार, नृत्य-गायन, साहित्य, कला, संगीत आदि। 'संस्कृति' शब्द संस्कृत भाषा की धातु 'कृ' (करना) से बना है। अंग्रेजी में संस्कृति के लिये **कल्चर** शब्द प्रयोग किया जाता है जो लैटिन भाषा के 'कल्ट या कल्टस' से लिया गया है, जिसका अर्थ है जोतना, विकसित करना या परिष्कृत करना और पूजा करना। संक्षेप में, किसी वस्तु को यहाँ तक संस्कारित और परिष्कृत करना कि इसका अंतिम उत्पाद हमारी प्रशंसा और सम्मान प्राप्त कर सके। यह ठीक उसी तरह है जैसे संस्कृत भाषा का शब्द

'संस्कृति'। संस्कृति का शब्दार्थ है – उत्तम या सुधरी हुई स्थिति।

संस्कृति और सभ्यता दो प्रकार से परम्पराओं का परिचय दिया जाता है। **सभ्यता का आन्तरिक प्रभाव संस्कृति है। सभ्यता समाज की बाह्य व्यवस्थओं का नाम है, संस्कृति व्यक्ति के अन्तर के विकास का।** अंतर मात्र इतना है सभ्यता हमारे भौतिक क्षेत्र के विकास को परिलक्षित करती है, जड़ पदार्थों के विकास को महत्त्व देती है जबकि संस्कृति मानवीय संवेदनाओं के साथ-साथ व्यक्ति के पारमार्थिक जीवन को भी परिलक्षित करती है। संस्कृति व्यक्ति को भौतिक साधन-सुविधाओं से उत्पन्न होने वाले पराधीनता के दु:ख से निकालकर आत्मिक आनंद की अनुभूति कराती है। जहाँ साहित्य, संगीत, कला, नृत्य, गायन आदि विधाओं का उपयोग कर मानवीय संवेदनाओं को नवीन रूप प्राप्त होता है। **एक जाति या एक राष्ट्र में जो एक सूत्र होता है, सबको बाँध रखने वाला, वही संस्कृति है।**

संस्कृति उस विधि का प्रतीक है जिसके आधार पर हम कार्य करते हैं और सोचते हैं। संस्कृति में मानवीय जीवन को आनंदित और प्रसन्न करने वाले पर्व-त्यौहार, रीति-रिवाज, परम्परायें आदि सभी सम्मिलित होते हैं। संस्कृति किसी समाज के वे सूक्ष्म संस्कार हैं, जिनके माध्यम से लोग परस्पर सम्प्रेषण करते हैं, विचार करते हैं और जीवन के विषय में अपनी अभिवृत्तियों और ज्ञान को दिशा देते हैं।

किसी भी देश की संस्कृति उस देश में मानव-द्वारा निर्मित साधन-सामग्री तथा उसके द्वारा निर्मित संस्थाओं, रूढ़ियां, धार्मिक परम्पराओं, विचारसरणियों, जीवनमूल्यों आदि का समग्र योग है। हमने अपने पूर्वजों से जो प्राप्त किया है उसी का अनुशरण कर रहे हैं। हम उनके बताये गये मार्ग पर चलकर आधुनिकता के परिवेश से जुड़ रहे हैं, साथ-साथ उनके द्वारा दिये गये संस्कार और विरासत को भी संभाल कर रख रहे हैं यही हमारी संस्कृति है। भारतीय संस्कृति की धरोहर केवल व्यक्ति से ही दिग्दर्शित नहीं होती है अपितु भारत के कण-कण से दिग्दर्शित होती है। हजारों वर्षो प्राचीन धरोहर के मंदिर, किले, वावड़ियाँ, मूर्तियाँ, हस्तलिखित ग्रन्थ, भित्तिचित्त, शैलचित्त, पहाड़, नदियाँ आदि भी हमारी संस्कृति को दिग्दर्शित कर रही है।

भाषा – Language is the dress of thought.

भाषा विचार का परिधान है।

भाषा और विचार का अटूट संबंध है। मनुष्य के मस्तिष्क में जब विचार उठे होंगे, तभी भाषा भी आयी होगी। **कोई भाषा कभी नहीं मरती। मरती है तो व्यक्ति की उस भाषा को सीखने और काम में लाने की क्षमता, स्वयं भाषा नहीं।** यदि किसी राष्ट्र को समाप्त करना है, तो उस राष्ट्र की भाषा को समाप्त कर दो, वह राष्ट्र स्वयंमेव नष्ट हो जायेगा। भाषा ही राष्ट्र को जीवित रखती है। **जब कोई भाषा नष्ट हो जाती है तो मुझे हमेशा दु:ख होता है क्योंकि भाषायें राष्ट्रों की वंशावलियाँ होती है।** भाषा ही दिग्दर्शित करती है हमारी संस्कृति और विचारों को। संस्कृति का प्राण भाषा है। भाषा ही हमारे पूर्वजों के द्वारा किये गये कार्यों की विवेचना करती है। कार्य कैसा भी किया गया हो? अच्छा या बुरा। परन्तु भाषा दोनों कार्यों को परिलक्षित करती है। यदि भाषा मर जाती है तो संस्कृति का ह्रास स्वयमेव हो जाता है। **नदी के वेगवती धारा के समान भाषा का वेग अनियन्त्रित रहता है। भाषा सतत चलती है, जहाँ जो उससे मिलता है, उसको समाहित करती है और आगे बढ़ती जाती है। प्राकृतभाषा इसका सबसे महत्त्वपूर्ण उदाहरण है। प्राकृतभाषा जिस देश में गयी, उसी देश की भाषा के पुट में ग्रहण हो गये। मथुरा में शौरसेनी, महाराष्ट्र में महाराष्ट्री, मगध में मागधी आदि।**

भारत देश अनेक भाषाओं का सृजनकर्ता भी है और अनेक भाषाओं को एक भाषा में समाहित करने का प्रबल साहस भी रखता है। भारत में भाषा भेद होने पर भी भारतीय संस्कृति को प्राकृत और संस्कृत जैसी उच्चस्तरीय भाषाओं के अवलम्बन से अनेक भाषाओं में संस्कृति के रूपान्तरण का सौभाग्य मिला है। जहाँ भगवान राम के चरित्र का वर्णन संस्कृत में रामायण जैसे महाकाव्य के रूप में विवेचित किया है वहीं दूसरी ओर तुलसीदासजी ने हिन्दी में रामचरित मानस लिखकर किया। जैनाचार्य ने पद्मपुराण लिखकर इसकी विवेचना की है। परन्तु भगवान राम का चरित्र किसी भी भाषा में कहा गया हो, उनका चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम और श्रेष्ठ मानव के रूप में ही दिग्दर्शित हुआ है। यही संस्कृति है जो भाषा की भिन्नता होने पर एक रूप है। हिन्दी में एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है

कोस-कोस पर पानी बदले, चार कोस पर बानी।

भाषा की भिन्नता होने पर भी भावों की भिन्नता नहीं होती है, भाव वही है, कहने का ढंग बदलता है। किसी ने आर्यभाषा में कहा, तो किसी ने द्राविड भाषाओं में। परन्तु भावों में परिवर्तन नहीं हुआ। देश, काल और परिस्थिति जन्य व्यवस्थाओं के अनुरूप साहित्य का सृजन हुआ। जिस समय जहाँ जिस भाषा की प्रधानता रही, उसी भाषा में उस साहित्य का निर्माण किया। जिससे जनसामान्य तक लेखक अपनी बात पहुँचा सके। अपनी संस्कृति का परिचय अपने लेखन के माध्यम से करा सके। भारत देश में लेखन की बहुत बड़ी परम्परा रही है और आज भी विद्यमान है। यहाँ के ग्रन्थों की छह माह तक होली जलाई गयी, यहाँ के ग्रन्थों को विदेशों में ले जाया गया, इसके बावजूद भारत में इतना प्राचीन साहित्य विद्यमान है कि विश्व के अन्य किसी देश में इतना प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध होना दुर्लभ है। प्राचीन भारत में प्रत्येक नागरिक शिक्षित था। उसकी वही शिक्षा है जो संस्कृति को दिग्दर्शन कराती है। भारत की संस्कृति का परिज्ञान भारत देश की विभिन्न भाषाओं और उसमें लिखे गये साहित्य से होता है। भारतीय भाषाओं वैज्ञानिकता को सम्पूर्ण विश्व स्वीकार करता है। क्योंकि ये भाषायें केवल हृदय को आनंदित ही नहीं करती है, अपितु इन भाषाओं में आने वाले अक्षर और शब्द शारीरिक स्वास्थ्य के लिये भी अत्यंत लाभकारी है। यहाँ प्रयुक्त होने वाले बीजाक्षर अपार शक्ति और क्षमता को व्यक्त करते हैं। कष्टसाध्य और असाध्य रोगों को जड़ से समाप्त करने में यहाँ की देवनागरी भाषा के अक्षरों का महत्त्वपूर्ण योगदान ऋषि-मुनियों ने प्रत्यक्ष करके दिखाया है। भारतीय संस्कृति को भाषा के साथ बाँधने का यह भी एक महत्त्वपूर्ण कारण है कि शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के साथ-साथ आत्मिक आनंद की अनुभूति भी कराना भाषा का कार्य रहा है।

भारतीय भाषाओं की वैज्ञानिकता के विषय में स्पष्ट करते हुये फ्लोरिडा स्थित विश्वविद्यालय ने बताया था कि देवनागरी एक ऐसी भाषा है, जिसमें जीभ के सभी स्नायुओं का उपयोग होता है, रक्त संचार बढ़ता है, मस्तिष्क शान्त होता है, मस्तिष्क में क्रियाशीलता और स्फूर्ति बढ़ती है। इसके अतिरिक्त रोगरोधक शक्ति का विकास अर्थात् बीमारियों से बचाव भी होता है। यदि रोग हो जाये तो

उससे रक्षा भी करती है।

भाषा और संस्कृति का सम्बन्ध - भाषा संस्कृति का वाहन है और उसका अंग भी। वास्तविकता में भाषा ही संस्कृति है। भाषा विचार, भावनायें, निरन्तर चली आ रही जीवनपद्धति को समाहित किये हुये हैं। मातृभाषा किसी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र या संस्कृति की पहचान होती है। वास्तव में भाषा एक संस्कृति है। मातृभाषा ही जनसामान्य को संस्कृति से जोड़े रखने का महत्त्वपूर्ण पायदान है। परन्तु आज वर्तमान में हम संस्कृति से विमुख होकर आधुनिकता की चकाचौंध में अंग्रेजी जैसी भाषा को महत्त्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं और अपनी हिन्दी को बोलने में शर्मिन्दा हो रहे हैं, अंग्रेजी बोलकर स्वयं को बहुत बड़ा मान रहे हैं। आश्चर्य होता है कि राष्ट्र के प्रति कैसा समर्पण है? जब हमें राष्ट्र की भाषा का ज्ञान ही नहीं है, तो राष्ट्र के गौरव को कैसे समझेंगे? राष्ट्र की धरोहर को जानने और समझने के लिये यहाँ की भाषा को जानना बहुत जरूरी है, जिससे आज का युवा पिछड़ता जा रहा है। ऐसे में भारतीय संस्कृति को बहुत बड़ा धक्का लग रहा है। मातृभाषा ही परम्पराओं और संस्कृति से जोड़े रखने का महत्त्वपूर्ण उपक्रम है। प्रत्येक मातृभाषा का अपना एक स्थान है, जिसकी मधुरता उस भाषा के शब्दों और उनके अर्थ में है।

भारतीय संस्कृति ने हाथ मिलाना भी सिखाया और हाथ जोड़ना भी सिखाया है। व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, परन्तु सर्वप्रथम मिलने पर वह हाथ जोड़कर अभिवादन करता है। निश्चित ही यह उसकी विनम्रता के भाव को प्रकट करता है। राम-राम बोलकर अभिवादन करता है। राम जैसे शब्दों का उच्चारण हमारी अन्त:स्रावी ग्रन्थियों, योग की भाषा में कहे तो चक्रों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। हाथ मिलाकर हम रोगकारी जीवाणु के विनिमय से भी बच जाते हैं। स्वाइन फ्लु से अपने नागरिकों को बचाने के लिये अमेरिका राष्ट्रपति ओबामा ने मुठ्ठी भिड़ाने का अभियान चलाया। अमेरिका वैज्ञानिकों ने मुठ्ठी भिड़ाने (फिस्ट बम्प) से भी दस प्रतिशत रोगाणुओं के विनिमय का खतरा बताया था। इससे स्वत: सिद्ध हो जाता है कि हाथ जोड़कर अभिवादन करना सर्वश्रेष्ठ है। परन्तु आज स्थिति बदल गयी है, हाथ मिला रहे हैं, परन्तु विनम्रता प्रकट नहीं हो पा रही है। भारतीय संस्कृति शुभ संकेत के रूप में अपने घर के

बाहर स्वस्तिक या साथिया बनाते थे या बनाते हैं। ये शब्द सकारात्मक ऊर्जा को देने वाले हैं, वैज्ञानिक अध्ययन के उपरान्त पाया गया कि स्वस्तिक सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जो कि अन्य धार्मिक या अन्य आकृतियों की अपेक्षा अनेक गुना ऊर्जा देने वाली आकृति है, जिससे एक मिलियन बोविस इकाई ऊर्जा निकलती है। इनको पढ़ने वाला और देखने वाला ऊर्जावान् बनता है और उसके विचारों में परिवर्तन होता है। परन्तु आज हम घर के बाहर लिखवाने लगे है कुत्तों से सावधान। हमने संस्कृति बदल दी, परन्तु ध्यान रखना ऐसा लिखने से सकारात्मक नहीं नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह ही घर में प्रवेश करता है। **हम भाषा को नहीं बनाते, भाषा ही हमको बनाती है। थोड़े से प्रयोजनीय शब्द गढ़ लेना भाषा बनाना नहीं है, वह केवल अपनी बनाना है।** अत: हम अपनी संस्कृति को जीवित रखे, संस्कृति जीवित तभी होगी, जब भाषा बचेगी। आज हमारी भाषायें मरणासन्न हो रही है, आज ए बी सी डी सभी को आती है परन्तु उच्च शिक्षा प्राप्त अनेक लोगों को अ आ इ ई और क ख ग नहीं आते। यह प्रश्नचिह्न हमारे जीवन पर? विचारियेगा। भाषा मरती है तो समझ लेना संस्कृति भी मर जायेगी। जिन्होंने भाषा को मारा है, उनकी संस्कृति भी मर गयी और संस्कृति मरने से उनका जीवन साधन-सुविधाओं से सम्पन्न हो सकता है परन्तु आन्तरिक शान्ति से रहित होगा। मानसिक सुख नहीं होगा। जहाँ स्त्रियाँ का सौन्दर्य उनका लज्जा गुण और सम्पूर्ण मर्यादा युक्त वस्त्र होते थे, जब-जब उनकी मर्यादा तोड़ी गयी है, तब-तब बाहरी प्रशंसा के अलावा उनके पास कुछ नहीं रहा है, इसके उदाहरण हम वर्तमान में देख रहे हैं।

जहाँ छात्र संस्कार की शिक्षा सीखते थे, गुरूओं का सम्मान होता है और छात्रों को आपसी प्रेम होता था। आज छात्रों को अंग्रेजीकरण ने एक दूसरे के विरोधी और व्यसनों से लिप्त बना दिया है। वर्तमान में स्कूल स्तर पर छात्रों की असंवेदनशीलता की घटनायें इस विषय पर बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा कर रही है। छात्र संवेदनारहित क्यों, कैसे और किन कारणों से हो रहे हैं? क्योंकि आज उनको भतृहरि के नीतिश्लोक, रामायण के राम की मर्यादा और सीता जैसी नारी के चरित्र के पाठ को न पढ़ाकर उनको मात्र रोजगार मिलने वाले ज्ञान को ही दिया जा रहा है। जिस कारण से वे आज अपना चरित्र और मानवमूल्य खो

रहे हैं। आज संस्कृत भाषा को जहाँ-जहाँ से बंद किया गया है या बंद हो रही है, ध्यान रखना चाहिये संस्कार भी वहाँ से समाप्त हो रहे हैं। एक ओर जहाँ छात्रों में मानवीय संवेदनायें समाप्त हो रही है वहीं दूसरी ओर दाम्पत्य जीवन भी टूट रहा है। भारतीय संस्कृति में पति-पत्नी के संबंध टूट जाये, वे अलग हो जाए और उनके संबंध विच्छेद हो जाए, इसके लिये कहीं किसी शब्द का उल्लेख नहीं किया, जो तलाक से मिलता-जुलता अर्थ भी बता सके। संस्कृत ने भी किसी ऐसे शब्द का निर्माण नहीं किया, जो तलाक के अर्थ सीधे तौर पर स्पष्ट कर सके, क्योंकि भारतदेश की संस्कृति में भारतीय नारी और पुरुष के दाम्पत्य जीवन में इस प्रकार से विद्रोह कभी उत्पन्न ही नहीं होते थे। अगर हुए भी है तो आपसी समझ और समझदारी से समाधान भी हुआ है।

अनेक वैज्ञानिक अध्ययनों के उपरान्त इस बात का निष्कर्ष सामने आया कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में ही कराना चाहिये। क्योंकि बच्चे जिस भाषा में पल रहे हैं, निरंतर उसी भाषा में वैचारिक आदान-प्रदान कर रहे हैं, ऐसे में उन बच्चों की बौद्धिक लब्धि को बढ़ाने में उनकी मातृभाषा ही सक्षम है। बंगाली में कहा गया है -

नानान देशेर नानान भाषा,

बिना स्वदेशी भाषा मेटे कि आशा?

भिन्न-भिन्न देशों की भिन्न-भिन्न भाषायें। पर बिना स्वदेशी भाषा के आशा कैसी पूरी होगी?

किसी विदेशी भाषा को प्रारंभिक शिक्षा से सिखाने वे अपने इस राष्ट्र और संस्कृति के इतिहास से अनभिज्ञ हो जाते हैं, वे वही सोचते हैं जो उस विदेशी भाषा के प्रभाव ने सिखाया है। **मातृभाषा के विकास के लिये अंग्रेजी भाषा की जानकारी की नहीं, मातृभाषा के प्रेम की, उसके प्रति श्रद्धा की जरूरत है।** इसका सर्वाधिक प्रभाव माता-पिता पर पड़ता है। भारतीय संस्कृति में माता-पिता की सेवा करने वाले श्रवणकुमार के उदाहरण परिलक्षित है, जो इस बात की शिक्षा देते हैं कि माता-पिता के प्रति प्रथम और सबसे महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्य है। परन्तु जब हम भाषा के संस्कारों को जानेंगे ही नहीं, तो कैसे मानेंगे? और अनुशरण कैसे करेंगे? इसलिये आज उनकी संतानें माता-

पिता से दूर रहना चाहते हैं।

किसी भी समाज को अनिवार्यतः अपनी भाषा में ही जीना होगा। नहीं तो उसकी अस्मिता कुंठित होगी ही होगी। और उसमें आत्म-बहिष्कार या अजनबियत के विचार प्रकट होगें ही।

न जाने ऐसे कितने आयाम है? जिनसे ये बात पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है कि भाषा और संस्कृति एक दूसरे के पूरक है। यदि भाषा को नष्ट कर दिया गया, भाषा को नहीं सीखा गया, भाषा को नहीं जाना गया, भाषा आत्मसात् नहीं की गई और भाषा के प्रति गौरव के भाव को नहीं रखा गया तो निश्चित ही हम और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ अपनी संस्कृति से और इस राष्ट्र की धरोहर एवं इतिहास के महत्त्वपूर्ण पहलुओं से अछूती रह जायेगी, जिसका पश्चात्ताप अन्त समय में होगा, परन्तु कर कुछ नहीं पायेंगे। अत: हम सभी अपनी भाषा और संस्कृति दोनों को जीवन्त बनाये रखने के लिये प्रयास करें। अस्तु।

सशक्त भारत - शिक्षा और स्वास्थ्य

आज हम देखते हैं कि हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ योग्यतायें भारत से बाहर जा रही है, यहाँ की 75 फीसदी योग्यताओं ने बाहर की ओर मुख किया है, और वे देश को एक उदारवादी दृष्टिकोण देने में असमर्थ रहे हैं।

देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के लिये अत्यावश्यक है, कि प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक संतुलन संतुलित हो। जब अमीर, अमीर होते जाते हैं और गरीब, गरीब होते जाते हैं ऐसे में देश की सारी व्यवस्थायें लड़खड़ाती है। रोजगार की कमी प्रशासन और सरकार का लचीला होना इसका मुख्य कारण है। आवश्यकानुरूप शासकीय रोजगारों को न देना ये भी व्यवस्थाओं को शिथिल करता है। आज हम देखते हैं चाहे वह डॉक्टर हो या शिक्षक, सभी स्थानों पर शासकीय स्थायी कर्मचारियों की बड़ी मात्रा में कमी है। हॉस्पीटिल में डॉक्टर नहीं है, और स्कूल में शिक्षक नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों महत्त्वपूर्ण है भारत निर्माण के लिये, सशक्त भारत के लिये। परन्तु दोनों पहलुओं पर हमारी भूतपूर्व और वर्तमान दोनों सरकारों की कार्यपद्धति पर प्रश्नचिह्न खड़ा होता है। सरकारें योजनायें और मिशन चलाकर कार्य कराने के प्रयास में है, चाहे वह मिशन स्वच्छता का हो, गरीबी समाप्ति का हो, चाहे वह रोजगार देने का हो। सभी मिशन आज भी अपने पहले पायदान से ही थोड़े-से आगे बढ़े हैं।

सबसे महत्त्वपूर्ण अगर कुछ है तो वह रोटी, कपड़ा और मकान। प्रत्येक भारतवासी को ये तीन वस्तुयें अगर मिल जाये, तो निश्चित ही सशक्त भारत का निर्माण शीघ्र ही सम्भव है। आज हम देखते हैं कि हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ योग्यतायें भारत से बाहर जा रही है, यहाँ की 75 फीसदी योग्यताओं ने बाहर की ओर मुख किया है, और वे देश को एक उदारवादी दृष्टिकोण देने में असमर्थ रहे हैं। आज भी सुदूर गाँवों में न डॉक्टर पहुँच पा रहा है न ही वहाँ के बीमार को

सही समय पर सही दवा मिल पा रही है। कितने ही उदाहरण हम देखते हैं सुनते हैं कि बीमार को दस किलोमीटर तक कँधों पर उठाकर इलाज के लिये लाया है। शहरों के अस्तपताल तो फिर भी ठीक है, परन्तु तहसील स्तर के अस्पतालों की बड़ी दुर्दशा है। कारण भी है, डॉक्टर गाँवों–कस्बों में नहीं रहना चाहते हैं, वे शहर की तरफ भाग रहे हैं। यहाँ कमाई नहीं है। वहाँ कमाई है। अर्थ का युग है। सब अर्थ की ही आशा रखते हैं। ऐसे में निराशा और हताशा ही हाथ लगती है।

जो अच्छी योग्यता वाले शिक्षक है वे भी गाँव–कस्बों में रहकर अध्यापन नहीं कराना चाह रहा हैं, शासन ने भी शिक्षकों को इस प्रकार से बाँध दिया है, कि उनका शैक्षणिक स्तर कमजोर हो जाये तो चल जायेगा परन्तु शासन की योजनाओं और उनके कार्यों को प्राथमिकता दी जाय। देश की सुदृढ़ व्यवस्था में अत्यावश्यक है कि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों को स्वतंत्र और परिपक्व बनाया जाये। जिससे मानवीय मूल्यों की सही पहचान हो सके और मानवीय मूल्यों की समझ प्रत्येक मानव में हो सके। शासन और प्रशासन इन दोनों बातों पर विशेष ध्यान दें, और स्वास्थ्य और शिक्षा को विभिन्न कार्यों से मुक्त कर, मात्र शैक्षणिक कार्यों में ही संलग्न करें, तो परिणाम कुछ और ही होंगे।

स्वतंत्रता संघर्ष के वीर योद्धा - सुभाषचन्द्र बोस

उन्होंने कहा - देशवासियों को ताजा ऊर्जा से प्रेरित करने के लिये हमें उनके सामने स्वतंत्रता की अखंड छवि रखनी होगी। इतने वर्षों से हमने उन्हें यह बताया है कि स्वतंत्रता यानी राजनीतिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की लड़ाई का लक्ष्य है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दमन की दासता से आजादी।

23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में जन्मे सुभाषचन्द्र बोस इस भारत की धरा ऐसे सपूत है, जिन्होंने अल्प उम्र ही भारत की स्वाधीनता के लिये अंग्रेजों को लोहा मनवा दिया था। हजारो-लाखों की संख्या में उनके समर्थक और अनुशरण करने वालों ने भारत की स्वतंत्रता के लिये अपने जीवन तक को न्यौछावर कर दिया था। उनके पिता का नाम जानकीदास बोस और माता का नाम प्रभावती था। वे अपने माता-पिता की 14 संतानों में नौवें नम्बर की संतान थे। वे अपने बड़े भाई श्री शरदचन्द्र बोस के अत्यधिक निकट थे। अंग्रेज सरकार ने उनको रायबहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था। उनके द्वारा दिया गया नारा **जय हिन्द** सम्पूर्ण राष्ट्र का नारा और पहचान बना।

21 अक्टूबर 1943 को सुभाष बोस ने आजाद हिन्द फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतन्त्र भारत की अस्थायी सरकार बनायी जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मान्चुको और आयरलैंड ने मान्यता दी। जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिये। सुभाष उन द्वीपों में गये और उनका नया नामकरण किया।

नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो (जापान) जाते समय ताइवान के पास नेताजी का एक हवाई दुर्घटना में

निधन हुआ बताया जाता है, लेकिन उनका शव नहीं मिल पाया। जहाँ जापान में प्रतिवर्ष उनका जन्म दिन धूमधाम से मनाया जाता है वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी यह मानना है कि सुभाष की मौत 1945 में नहीं हुई। वे उसके बाद रूस में नज़रबन्द थे। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से सम्बंधित दस्तावेज़ अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किये? नेताजी की मौत के कारणों पर आज भी विवाद बना हुआ है।

उन्होंने अपने जीवन काल में शिक्षा को महत्त्व दिया और अपने पिता की इच्छा के अनुसार उन्होंने आईसीएस की तैयारी की और उनका उसमें चयन हुआ। परन्तु उन्हें यह नौकरी रास नहीं आई। उनको अंग्रेजों की गुलामी करना पड़ेगी ऐसा विचार उनके हृदय में आया। जब उन्होंने यह बात अपनी माँ से कही – तब माँ ने उनको पत्र लिखकर कहा – बेटा कोई कुछ भी कहे, पर तुम अपने निर्णय पर अडिग रहना, मुझे तुम पर गर्व है। फिर वे स्वदेश लौट गये। अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष को कुल 11 बार कारावास हुआ। सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई 1921 में छह महीने का कारावास हुआ।

उनके पिता का कहना था – सुभाष एक दिन तुम इस भारत देश की स्वतंत्रता में महत्त्वपूर्ण योगदान का निर्वहन करोगे। सो वास्तव में यही हुआ। नेताजी सुभाषचन्द बोस के जीवन से सीखने लायक बहुत कुछ है। उन्होंने जो लक्ष्य बनाया उसी पर दृढ़ रहे। उन्होंने अखण्ड भारत का स्वप्न देखा और जीवन के अंतिम क्षण तक प्रयास करते रहे। वे भारत को एकमेक ही देखना चाहते थे। वे विभाजन नहीं चाहते थे और न ही वे इसके पक्षधर थे। उन्होंने कहा – **देशवासियों को ताजा ऊर्जा से प्रेरित करने के लिये हमें उनके सामने स्वतंत्रता की अखंड छवि रखनी होगी। इतने वर्षों से हमने उन्हें यह बताया है कि स्वतंत्रता यानी राजनीतिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की लड़ाई का लक्ष्य है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दमन की दासता से आजादी।**

नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चन्द्र ने सशक्त क्रान्ति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर, 1943 को आज़ाद हिन्द सरकार की

स्थापना की तथा आज़ाद हिन्द फ़ौज का गठन किया इस संगठन के प्रतीक चिह्न पर एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता था। नेताजी अपनी आजाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुँचे। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा, **तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा दिया।**

नेताजी के तीन प्रमुख सिद्धान्त है। जो आज के परिप्रेक्ष्य राष्ट्र निर्माण के लिये महत्त्वपूर्ण है और उनका परिपालन प्रत्येक युवा को सकारात्मक ऊर्जा के संचार से ओतप्रोत करेगा। उनका पहला सिद्धान्त है – **अत्यंत सक्रिय राष्ट्रवाद।** अर्थात् राष्ट्र के हितों में डूब जाना, राष्ट्र के प्रति तन–मन–धन से समर्पित होना। उनका दूसरा सिद्धान्त है – **ऐसा समाजवाद जिसकी जड़े भारत के विचार व संस्कृति में हो।** उन्होंने सदा कहा है जीवन में उनका मिशन है व्यक्तियों का निर्माण। वे कभी किसी जाति–पाति या पंथ के व्यामोह में नहीं पड़े, उन्होंने सदा अपने को भारतीय माना। तीसरा सिद्धान्त है – **सैन्यवाद का विकास।** उनका मानना था कि सशस्त्र संघर्ष के बिना भारत एकजुट नहीं रह पायेगा और परिपूर्ण आजादी नहीं मिल पायेगी। स्वतंत्रता संघर्ष के माध्यम से आनी चाहिये।

नेताजी के जीवन का अवलोकन करते हैं, तब ज्ञात होता है कि राष्ट्र के प्रति अत्यंत समर्पण और निष्ठा के साथ उन्होंने सुख–सुविधाओं को छोड़कर राष्ट्र को स्वतंत्र कराने साहस प्रकट किया और उसी दिशा में सार्थक कदम बढ़ाये। आज जहाँ वर्तमान में लोग जाति–पाति, पंथ व्यायोम, व्यक्तिवाद, वंशवाद और नकारात्मक जीवन शैली को अपनाकर अपने निज हितों की पूर्ति में लगे हुये वही दूसरी ओर नेताजी का जीवन इससे परे हमें प्रेरणा दे रहा है कि हम भारतीय है, हमारी जाति भारतीय है, हमारा धर्म भारतीय है और हमारा कर्म भारतीय है। जिन्होंने आईसीएस जैसी नौकरी को मात्र इसलिये छोड़ दिया क्योंकि ऐसे लोगों के अधीन होकर कार्य नहीं किया जा सकता है जो हमारे देश को परतंत्र करके रखे हुये हैं। उनका जीवन बहुत बड़ा दर्शन है। शायद मानवीय संवेदनाओं और राष्ट्र के प्रति अप्रितम समर्पण के भाव ने आज भी नेताजी को हर हृदय में जीवित रखा है। उनकी रहस्यमय मृत्यु आज भी उनके जीवित होने का

इंतजार करा रही है। ये जानते हुये भी अब उनका जीवन शेष नहीं है, क्योंकि 121 वर्ष होना बहुत बड़ा समय है। पर आज भी इंतजार है कि उनका एक दर्शन मानवीय मूल्यों को मिले और उनके व्यक्तित्व की आभा से उनके सपने अखण्ड भारत की छवि को विश्व पटल पर प्रकाशित किया जा सके।

हम उनकी जयन्ती मात्र इतना कर सकते हैं कि उनके स्वप्न अखण्ड भारत की छवि लेकर आगे बढ़े और अपने देश में हो जाति–धर्म के नाम अपराध, असंवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों के पतन को रोककर संवेदनाओं से युक्त और मानवीय मूल्यों के तत्त्व को समझने वाले अखण्ड भारत के निर्माण में सहयोगी बने।

संभालो पुरानी चीजों को, तो संभल जायेगा कैरियर...

(एंटीक शॉप)

एंटीक तकनीकी रूप से सौ वर्ष या उससे ज्यादा पुरानी वस्तुओं को एंटीक कहते हैं। इसमें फर्नीचर, आभूषण, पुस्तकें, फिल्में, संगीत एलबमों से जुड़ी यादगारें, हस्तशिल्प, काँच की कलाकृतियां, पोशाकें, नक्काशीदार बर्तन, घड़ियाँ, ऐतिहासिक महत्त्व के खिलौने और अन्य संग्रहणीय वस्तुयें शामिल होती है।

विरासत में प्राप्त वस्तुयें प्रतीक है वस्तु के अस्तित्व की। वस्तु जितनी पुरानी होती है, उसके प्रति आकर्षण अधिक दिखता है। जैसे – पुराने मंदिर, पुराने राजा-महाराजाओं के वस्त्र, अस्त्र-शस्त्र, बर्तन, पुरानी कलाकृतियाँ, चित्रकलायें, रेखाचित्र आदि। हम जब भी अपने राष्ट्र के पुरातन वैभव को देखते हैं तो आकर्षण और गौरव एक साथ उत्पन्न होता है। अनेक लोगों में पुरानी चीजों को संग्रह करने का एक श्रेष्ठ शौक होता है, जो उनको सबसे भिन्न साबित करता है। पुराने सिक्के, नोट, पेंटिंग, बर्तन, डाकटिकिट आदि। यदि इन्हीं चीजों के व्यापार को हम बढावा देंवे तो हमारा शौक और व्यवसाय दोनों एक साथ हो सकता है।

एंटीक तकनीकी रूप से सौ वर्ष या उससे ज्यादा पुरानी वस्तुओं को एंटीक कहते हैं। इसमें फर्नीचर, आभूषण, पुस्तकें, फिल्में, संगीत एलबमों से जुड़ी यादगारें, हस्तशिल्प, काँच की कलाकृतियां, पोशाकें, नक्काशीदार बर्तन, घड़ियाँ, ऐतिहासिक महत्त्व के खिलौने और अन्य संग्रहणीय वस्तुयें शामिल होती है। लोग इन एंटीक वस्तुओं को खरीदकर संग्रह कर रहे हैं, अपने घरों को सजा रहे हैं, एवं अपनी धरोहर समझकर इनको सुरक्षित भी कर रहे हैं। ऐसे में

आज एंटीक वस्तुओं के व्यापार को बहुत महत्त्व मिल रहा है। एंटीक वस्तुओं को बेचने के व्यापार के साथ उनकी मरम्मत आदि करने में मदद करके भी इस व्यापार को श्रेष्ठ बना सकते हैं। विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले व्यापार मेला, पुस्तक मेला, कैरियर मेला आदि में भी आप अपनी प्रदर्शनी लगाकर या व्यापारिक दुकान लगाकर लोगों पुरानी एंटीक वस्तुओं को खरीदने के लिये प्रेरित कर सकते हैं। आप पुरानी वस्तुओं के महत्त्व को प्रतिपादित करने वाले पम्पलेट, हैंडलेट आदि भी छपवाकर लोगों तक पहुँचा सकते हैं। आज इंटरनेट का युग है, ई-कॉमर्स के माध्यम से आप अपनी सेल बढ़ा सकते हैं, लोगो को अपनी बेवसाइट के माध्यम से एंटीक वस्तुओं के कारोबार की जानकारी प्रदान कर सकते हैं। जिससे लोग आप तक ई-शॉपिंग के माध्यम से भी जुड़ सके। इस कार्य में एक विशेष बात ध्यान देनी योग्य है कि वही लोग इसमें सफल हो पाते हैं जो ग्राहकों के अनुरूप एंटीक वस्तुओं को उपलब्ध कराते हैं, वे स्वयं असली-नकली वस्तु की पहचान जानते हो, और ग्राहकों को भी नकली वस्तुओं को खरीदने से बचाये, जिससे आपके व्यापार में उन्नति का मार्ग खुलेगा। एंटीक वस्तुओं का मूल्य आंकना बहुत कठिन होता है, ये निर्भर करता है ग्राहक की माँग पर। परंतु सही कीमत का अंदाजा लगाना भी इस व्यापार का अहम हिस्सा है। जिसे नहीं भूलना चाहिये।

मित्रो! यह व्यापार के साथ-साथ हमें हमारे राष्ट्र गौरव और राष्ट्र धरोहर से भी जोड़ता है, तो व्यापार के साथ-साथ आनन्द का अनुभव भी करें। तो निश्चित ही हम सदा प्रसन्न और सफल रहेंगे।

जल का दुरूपयोग न करना ही जीवन का बचाव है

जब हमारे पास एक बाल्टी पानी होता है तो हम उस पानी नहा भी लेते हैं कपड़े भी धो लेते हैं और एक डिब्बा बचा भी लेते हैं। पर जब पानी हमारे पास उपलब्ध होता है तब हम ऐसा नहीं करते हैं, तब इससे विपरीत करते हैं।

गर्मी का समय आ गया है। पानी की समस्या धीरे-धीरे बढ़ती जायेगी। ऐसे में हम पानी के प्रति थोड़े गंभीर हो जाते हैं। जरूरी भी है। परन्तु पानी का दुरूपयोग कैसे रोका जाए? और हम स्वयं कितने जिम्मेदार है पानी का दुरूपयोग करने में इस पर विचार अवश्य करना है। आज दिनांक १८ मार्च २०१८ को दैनिक भास्कर पेज नं. १४ पर भास्कर खास में सिंगापुर ने टेक्नोलॉजी की मदद से पानी बचाने के लिये शुरू किया देश का सबसे बड़ा अभियान, प्रत्येक सदस्य नहाते वक्त ५लीटर पानी बचाएगा, ज्यादा पानी खर्च करने पर अलर्ट भी होगा आदि विशेष बातें उस लेख में है। देखिये ! पानी को बचाने की मुहिम सर्वत्र चल रही है, क्योंकि हम जितना अधिक पानी का उपयोग नहीं करते हैं, उससे कहीं ज्यादा नष्ट कर देते हैं। हम आये दिन देखते हैं कि हमारे आसपास कहीं न कहीं पानी का लीकेज होता है, और बहुत बड़ी मात्रा में पानी बहता रहता है। इस विषय में हम बहुत कम जागरूक होते हैं कि इसकी सूचना हम अधिकारियों तक पहुँचायें। अपने घरों के नलों से जो पानी रिसता है, अगर उसकी टोंटी सही समय पर ठीक हो जाये तो न जाने कितनी बड़ी मात्रा में हम पानी का बचाव कर सकते हैं। पानी हमारा जीवन है। इसको सब जानते हैं, पर उसके प्रति सावधानियाँ बहुत कम लोग रख पा रहे हैं न जाने क्यों? जब हमारे पास एक बाल्टी पानी होता है तो हम उस पानी नहा भी लेते हैं कपड़े भी धो लेते हैं और एक डिब्बा बचा भी लेते हैं। पर जब पानी हमारे पास उपलब्ध होता है तब हम ऐसा नहीं करते हैं, तब इससे विपरीत करते हैं।

आप और हम मिलकर पानी के दुरूपयोग को रोके और उसको बचाये। जितना आवश्यक है उतना उपयोग करें, शेष पानी को बचा कर रखे, जिससे पानी का सदुपयोग किया जा सके।